प्रारुप

जन शिक्षा नीति 2025

NEP 2020 का विकल्प

आल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी (AISEC)
88बी-बिपिन बिहारी गांगुली स्ट्रीट
कोलकाता-700012

Draft
People's Education Policy 2025
An Alternative to NEP 2020

First Edition:

Pages:

Published By:
V.N. Rajashekhar
All India Save Education Committee
888, Bepin Behari Ganguly Street
Kolkata - 700012
e-mail: aisec.aic@gmail.com

All suggestions/feedback on "Draft People's Education Policy 2025"
shall be sent to the E-mail ID: pep2025feedback@gmail.com

Print:
Bhardwaj Printers & Publishers,
New Delhi-110059

Price: Rs. 35/-

प्रस्तावना

तत्कालीन केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (DNPE) का मसौदा प्रकाशित किया गया था, जिसके बाद कोविड–19 महामारी के दौरान NEP 2020 को लागू किया गया। हम सभी जानते हैं कि NEP 2020 को संसद में सार्थक चर्चा के लिये नहीं रखा गया था और इसे केवल कैबिनेट के निर्णय के माध्यम से ऊपर से थोपा गया था। शिक्षाविदों, शिक्षकों, छात्रों और आम तौर पर शिक्षा प्रेमियों के एक व्यापक मंच AISEC की अखिल भारतीय समिति ने नीति का सावधानीपूर्वक अध्ययन और जांच की और एक सुविचारित दृष्टिकोण विकसित किया कि यदि इसी नीति को लागू किया गया तो यह देश की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली पर कहर बरपाएगी। कई अग्रणी शिक्षाविदों के साथ AISECA ने नीति को शिक्षा के पूर्ण निजीकरण, व्यापारीकरण, सांप्रदायिकरण, केंद्रीकरण और व्यावसायीकरण का खाका माना। देश भर के प्रमुख शिक्षाविदों, शिक्षक और छात्र निकायों और हितधारकों ने NEP 2020 का विभिन्न दृष्टिकोणों से विरोध किया। हालांकि, असहमति या विरोध की किसी भी आवाज पर ध्यान दिये बिना सरकार ने इस नीति को बहुत जल्दबाजी में लागू करना जारी रखा। AISEC और इसकी राज्य शाखाओं ने नीति के एकतरफा और जबरन कार्यान्वयन का विरोध करते हुए पूरे देश में सेमिनार, परिचर्चा, विरोध और धरने आयोजित किये।

इन कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान लोगों के विभिन्न वर्गों से यह मजबूत राय सामने आई कि एआईएसईसी को एनईपी

2020 के विकल्प के रूप में जन शिक्षा नीति (पीईपी) 2025 तैयार करनी चाहिए। एआईएसईसी ने जनता की इस उचित और समय पर की गई मांग का जवाब दिया और पांच साल से अधिक की अपनी लंबी और कठिन यात्रा के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर हमने एक मसौदा पीईपी 2025 तैयार किया है।

इस प्रयास के दौरान देश भर के शिक्षाविदों और शिक्षा बचाओ आंदोलन के नेताओं के साथ एक मसौदा समिति का गठन किया गया था। समिति ने एक वर्ष से अधिक समय तक काम किया ऑनलाइन और आफलाईन दोनों तरीकों से कई बार बैठकें की और एक लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक पालन करते हुए मसौदा तैयार किया। एनआईएसईसी की कार्यकारी समिति को मसौदा सौंपे जाने के बाद समिति ने 3 दिसंबर, 2024 को नई दिल्ली में बैठक की और मसौदे पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया और कई संशोधनों का सुझाव दिया। फिर मसौदा समिति ने कई बैठकों के माध्यम से मसौदे को संशोधित किया और इसे फिर से एआईएसईसी की अखिल भारतीय समिति को सौंप दिया। इसके बाद AISEC सचिवालय ने 4-5 अप्रैल, 2025 को कोलकाता में बैठक की और मसौदे की गहन जांच की तथा उसमें और संशोधन किया। फिर इसे AISEC की अखिल भारतीय परिषद आल इंडिया कॉंशिंल की बैठक में रखा गया, जिसमें सभी राज्यों के कई शिक्षाविद् और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल थे। जिसमें विस्तार से चर्चा की गई और जन शिक्षा नीति 2025 के मसौदे को मंजूरी दी गई। PEP 2025 का मसौदा आखिरकार 22 मई 2025 को देश के 19 शहरों में एक साथ आयोजि प्रेस-मीट के माध्यम से जारी किया गया।

पीईपी 2025 का मसौदा तैयार करने के इस लंबे और चुनौतीपूर्ण कार्य में, एआईएसईसी शिक्षा के क्षेत्र के कई दिग्गजों

के बहुमूल्य योगदान के लिये उनकी ऋणी है जैसे कि प्रो. चंद्रशेखर चक्रवर्ती (पूर्व कुलपति), प्रो. ध्रुबज्योति मुखोपाध्याय (आईएनएसए वैज्ञानिक), प्रो. बीरेंद्र कुमार नायक (उत्कल विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर) प्रो. सचिदानंद सिन्हा (जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर) प्रो. एच. श्रीकांत (नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी), आसाम प्रो. एसएच थिलागर (अन्ना विश्वविद्यालय), प्रो. प्रदीप महापात्रा (पूर्व प्राचार्य, मनकाचर कॉलेज, गुवाहाटी विश्वविद्यालय), प्रो. रामावतार शर्मा (सागर विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर), प्रो. ज्योतिराज (पूर्व अतिरिक्त निदेशक, कॉलेजिएट शिक्षा विभाग, केरल), वी पी नंदकुमार, विश्वजीत मिश्रा (पूर्व प्रधानाध्यापक), शारदा दीक्षित (पूर्व प्राचार्य), गोविंदा राजलू, राजशेखर वी एन, शजर खान और ऐश्वर्या के एम के अलावा एआईएसईसी के कई अन्य सदस्य।

एआईएसईसी ने मसौदा पीईपी 2025 को राष्ट्रव्यापी चर्चा और विचार–विमर्श के लिये रखा है। ऊपर से थोपी गई एनईपी 2020 के विपरीत, एनआईएसईसी का मानना है कि पीईपी 2025 के मसौदे को लोगों के विभिन्न वर्गों के पास ले जाकर उनसे इनपुट लेकर मसौदे को और बेहतर बनाने के लिये वैकल्पिक शिक्षा नीति को अंतिम रूप दिया जायेगा। एआईएसईसी का प्रस्ताव है कि इस प्रकार प्राप्त सभी प्रासंगिक इनपुट को शामिल करने बाद, एक अंतिम नीति दस्तावेज पीपुल्स एजुकेशन पॉलिसी 2025–एनईपी 2020 का एक विकल्प तैयार किया जायेगा। केन्द्र सरकार ने एनईपी 2020 को संसद में नहीं रखा, लेकिन एआईएसईपी इसे जनवरी 2026 में बेंगलुरु में इस उद्देश्य के लिये बुलाई जाने वाली राष्ट्रीय पीपुल्स संसद के समक्ष रखेगी। एक बार पीपुल्स एजुकेशन पॉलिसी को अंतिम रूप दिये जाने के बाद एआईएसईसी इसे केन्द्र और राज्य सरकारों को सौंपने और निर्धारित समय सीमा के भीतर इसके कार्यान्वयन की मांग करने का प्रस्ताव करेगी है।

इसलिये हम सभी नेकनीयत और शिक्षा प्रेमी लोगों से अपील करते हैं कि वे इस नीति दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें और दस्तावेज में आवश्यक संशोधन करने के लिये अपनी प्रतिक्रिया भेजें।

सभी सुझाव/प्रतिक्रियाएं
ई–मेल आई डीः pep2025feedback@gmail.com
पर भेजी जाएंगी।

प्रो. तरुण कांति नस्कर
महासचिव,
अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति।

ABBREVIATIONS USED

AICTE	-	All India Council of Technical Education
CABE	-	Central Advisory Board of Education
CSIR	-	Council for Scientific & Industrial Research
DAE	-	Department of Atomic Energy
DST	-	Department of Science & Technology
DTE	-	Directorate of Technical Education
ICAR	-	Indian Council of Agricultural Research
ICHR	-	Indian Council of Historical Research
ICMR	-	Indian Council of Medical Research
ICSSR	-	Indian Council of Social Science Research
IIM	-	Indian Institue of Management
IISc	-	Indian Institute of Science
IIT	-	Indian Institute of Technology
ISI	-	Indian Statistical Institute
MCI	-	Medical Council of India
NCERT	-	National Council of Educational Research & Training
NIEPA	-	National Inst. of Educational Planning & Administration
NPE	-	National Policy on Education
PG	-	Postgraduate
SSDE	-	Scientific, Secular and Democratic Education
UG	-	Undergraduate
UGC	-	University Grants Commission
NRF	-	National Research Foundation
NHERC	-	National Higher Educationd Resource Centre
HECI	-	Higher Education Council of India
RTE	-	Right to Education Act

विषय-सूची

प्रस्तावना	03
Abberviations used	07
हमें जन शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों है?	09
भाग-1 स्कूल स्तर पर शैक्षिक संरचना	10
भाग-2 प्री-स्कूल शिक्षा	23
भाग-3 स्कूल शिक्षा	26
भाग-4 व्यावसायिक शिक्षा	33
भाग-5 उच्च शिक्षा-विश्वविद्यालय प्रणाली	36
भाग-6 शोध कार्यक्रम	47
भाग-7 व्यावसायिक शिक्षा	50
भाग-8 वयस्क शिक्षा	57
भाग-9 अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा	60
भाग-10 शिक्षक शिक्षा	62
भाग-11 लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली, स्वायत्तता और शासन	67
भाग-12 शिक्षा का वित्तपोषण	70
भाग-13 मूल्य शिक्षा	78
भाग-14 शिक्षा पर भाषा नीति	80
भाग-15 शारीरिक शिक्षा ओर खेल	83
भाग-16 एक अपील	84
Annexure I	87
एक सारांश	94
`जन शिक्षा नीति की मुख्य मांगें	97
References	99

हमें जन शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों है?

प्राचीन काल से ही शिक्षा मानवता के लिये मार्गदर्शक शक्ति रही है। सदियों से संपूर्ण मानवता के कठिन संघर्ष के माध्यम से संचित ज्ञान के खजाने को विरासत में प्राप्त करने और सीखने का साधन है, शिक्षा। शिक्षा मानवीय मूल्यों को विकसित करती है और हमें आजीविका के अवसर पैदा करने, विकसित करने और मानव चरित्र के निर्माण में मदद करती है। शिक्षा व्यक्ति के समग्र विकास और राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के लिये अपरिहार्य है।

प्राचीन और मध्यकालीन समाजों में, शिक्षा पर अभिजात वर्ग के एक छोटे से तबके का एकाधिकार था और आम जनता के लिये यह सुलभ नहीं थी। चूंकि उस समय शिक्षा धर्म के प्रभाव में थी, इसलिये शिक्षा पूरी तरह से वैज्ञानिक और तर्कसंगत नहीं थी। पश्चिम में, नवजागरण, नए वैज्ञानिक ओर तकनीकी आविष्कार और खोज, औद्योगिक क्रांति और ज्ञानोदय जैसी ऐतिहासिक घटनाओं ने लोकतांत्रिक क्रांतियों और धर्मनिरपेक्ष राज्यों के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया। सामंतवाद और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ लोगों के आंदोलन के परिणामस्वरूप ही पश्चिम में सार्वभौमिक, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक शिक्षा के विचार ने आकार लिया।

प्राचीन और मध्यकालीन भारत में शिक्षा की स्थिति पश्चिम से अलग नहीं थी। यहाँ शिक्षा पर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक अभिजात वर्ग के एक छोटे से हिस्से, विशेष रूप से ब्राह्मणों का विशेषाधिकार था। महिलाओं, मध्यम ओर निचली जातियों और आदिवासी लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया था।

भारत में आधुनिक शिक्षा औपनिवेशिक काल के दौरान शुरू हुई।

अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मुख्यतः अपने औपनिवेशिक प्रशासन की सेवा के लिये शिक्षित स्थानीय नागरिकों के छोटे समूह तैयार करने के लिये की थी। अंग्रेजी शिक्षा, पश्चिमी विज्ञान और दर्शन की शुरुआत ने भारतीयों को मानवतावाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों से अवगत कराया। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फुले और भारत के विभिन्न हिस्सों में कई अन्य लोगों ने जनता को सशक्त बनाने के लिये सामाजिक सुधार आंदोलन शुरु किया। सुधारकों ने हमारे देश और हमारे लोगों को रुढ़िवादी विचारों, अंधविश्वासों, धार्मिक हठधर्मिता और कट्टरता के रसातल से निकालने के लिये धर्मनिरपेक्ष, तर्कसंगत और वैज्ञानिक शिक्षा के महत्व को समझा। उन्होंने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये संसाधन जुटाए। इन घटनाओं ने बाद में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम के विकास में मदद की। हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानियों ने न केवल ब्रिटिश शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता के लिये बल्कि भारतीय लोगों की आर्थिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिये भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने जाति, पंथ, धर्म ओर लिंग के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी नागरिकों के लिये मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की वकालत की। उनकी आकांक्षा थी कि गरीबी या सामाजिक भेदभाव के कारण किसी भी बच्चे को शिक्षा तक पहुंच से वंचित नहीं किया जायेगा। राष्ट्रीय नेताओं ने भारतके राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौमिक, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक शिक्षा का वादा किया था।

स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने शिक्षा पर विभिन्न कमेटियाँ और आयोग गठित किए जैसे कि उच्च शिक्षा के लिये

राधाकृष्णन आयोग 1948, माध्यमिक शिक्षा पर मुदालियर आयोग 1953, कोठारी आयोग 1964 आदि। उनकी रिपोर्टों के आधार पर, 1968 में भारत में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति घोषित की गई। बाद में, प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान, सरकार ने शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 की घोषणा की। इसके बाद डीपीईपी, एसएसए, आरएमएसए, आरयूएसए, बिड़ला–अंबानी रिपोर्ट, एनसीएफएसई 2005, एनकेसी, यशपाल कमेटी रिपोर्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 आदि जैसे कई कार्यक्रम या योजनाएँ बनाई गई।

स्वतंत्रता के बाद, भारत का ध्यान शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने और निरक्षरता को मिटाने पर था।। 1951 में, साक्षरता दर सिर्फ 18.3% थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण लिंग अंतर (पुरुषों के लिये 27.2% और महिलाओं के लिये 8.9%) था। 2011 तक साक्षरता दर बढ़कर 74.04% हो गई (पुरुषों के लिये 82.14% और महिलाओं के लिये 65.46%)। 2021 तक भारत की साक्षरता दर लगभग 77.7% है। शैक्षिक बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय विस्तार हुआ 1950–51 में लगभग 2 लाख प्राथमिक विद्यालयों से 2021 में 15 लाख से अधिक हो गए। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 1950–51 में लगभग 7,400 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई। उच्च शिक्षा में भी वृद्धि देखी गईः 1950 में लगभग 30 विश्वविद्यालयों और 700 कॉलेजों से 2021 में 1000 से अधिक विश्वविद्यालयों और 40000 कॉलेजों तक बढ़ गए। स्कूल और उच्च शिक्षा के सभी चरणों के लिये सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में लगातार वृद्धि हुई। हालांकि, दशकों में सुधार के बावजूद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच जीईआर में असमानता अभी भी बरकरार है। माध्यमिक स्तर पर असमानता अधिक स्पष्ट है, ग्रामीण जीईआर लगभग 72% है जबकि शहरी जीईआर 86% है। उच्च शिक्षा के लिये, ग्रामीण जीईआर (23%) शहरी जीईआर (38%) की तुलना में काफी कम है। सामाजिक असमानताएँ भी

स्पष्ट हैं–अनुसूचित जाति (एससी) का माध्यमिक स्तर पर जीईआर 76% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 79% है। अनुसूचित जनजाति (एसटी) की स्थिति और भी खराब है, जहां समान स्तर पर जीईआर 70% है। एससी छात्रों के लिये उच्च शिक्षा जीईआर लगभग 23% है, जबकि एसटी छात्रों के लिये यह लगभग 18% है, जबकि कुल जीईआर 27% है।

इस प्रगति के बावजूद हम अभी भी स्वतंत्रता सेनानियों की आकांक्षाओं को पूरा करने से बहुत दूर हैं। देश में सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत करने के लिये पर्याप्त धन के आवंटन में सरकारें काफी पीछे रह गई हैं। सरकारी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों की कमी के कारण लगातार अभावग्रस्त हैं। हालांकि छात्रों के बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी आने के संकेत मिलने लगे हैं, लेकिन प्राथमिक से उच्च प्राथमिक कक्षाओं में जाने के मामले में यह दर अभी भी बनी हुई है और माध्यमिक स्तर से उच्च कक्षाओं में जाने के मामले में यह दर और भी अधिक हैं। यू-डीआईएसई पर आधारित नवीनतम अनुमानों के अनुसार 2023–24 में 6–10 वर्ष की आयु के 15 प्रतिशत से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के मानकों में गिरावट, निजी स्कूलों और कॉलेजों की बेतहाशा वृद्धि और शिक्षा पर सरकारी खर्च में कमी ने शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता को और खराब कर दिया है। शिक्षा के बढ़ते निजीकरण और व्यावसायीकरण ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को मुश्किल बना दिया है।

इस बात पर जोर दिया जाना चाहिये कि अवसरों की समानता के संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत भारत में शैक्षणिक विकास भारतीय समाज की पारंपरिक जाति/वर्ग संरचना के समान ही तेजी से अन्यायपूर्ण और पदानुक्रमित होता जा रहा है। सार्वभौमिक सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली विकसित करने के

बाजय सरकारों को न केवल शिक्षा प्रणाली के निजीकरण ओर व्यावसायीकरण को बढ़ावा दिया है, बल्कि भारत में आबादी के विभिन्न वर्गों की हैसियत के उनकी जरुरतों को पूरा करने वाले कई तरह के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करके असमानता को बढ़ावा दिया है। सबसे निचले पायदान पर स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूल हैं, फिर राज्य के शिक्षा विभागों द्वारा संचालित स्कूल हैं, थोड़ा ऊपर राज्य द्वारा संचालित मॉडल स्कूल, आदिवासी मंत्रालय आश्रम स्कूल और फिर उच्चतर स्तर पर केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। ये सभी सरकारी वित्तपोषित हैं, इसके अलावा कई तरह के सहायता प्राप्त और गैर–सहायता प्राप्त निजी स्कूल और मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित स्कूल भी हैं। वे पाठ्यक्रम और गैर–पाठ्यचर्या संबंधी बुनियादी ढांचे, शिक्षकों के प्रावधान और प्रशिक्षण के मामले में एक–दूसरे से काफी भिन्न हैं, जिससे भारत में एक खंडित शैक्षिक प्रणाली बन गई है।

पूर्ववर्ती सरकारों की शिक्षा नीतियों की विफलताओं या सीमाबध्यताओं का हवाला देते हुए जैन शिक्षा नीति में प्रावधान होगा कि.....

* शिक्षण संस्थानों को छात्राओं और महिला कर्मचारियों के लिये सुरक्षित माहौल बनाना चाहिए।

* सभी शिक्षण संस्थानों में छात्राओं और महिला कर्मचारियों के लिये अलग और साफ शौचालय होने चाहिये।

* सभी शिक्षण संस्थानों में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाने चाहिये। छात्रों को मासिक धर्म के बारे में जानकारी दी जानी चाहिये और उन्हें जैविक परिवर्तनों को सामान्य रूप से स्वीकार करना चाहिये।

* सभी शिक्षण संस्थानों को लड़कियों और महिला शिक्षकों के यौन उत्पीड़न के सभी मामलों से निपटने के लिये यौन उत्पीड़न

विरोधी कमेटियों का गठन करना चाहिये। यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच निर्धारित समय के भीतर पूरी की जानी चाहिये ओर दोषी पाए जाने वालों को नियमों के अनुसार दंडित किया जाना चाहिये।

सामाजिक रूप से वंचितों के लिये शिक्षा

आरक्षण के अभ्यास के बावजूद, अधिकांश दलितों, निचली जातियों और आदिवासी लोगों को शिक्षा का लाभ नहीं मिला है। सामाजिक रूप से वंचित समूहों की शिक्षा समाज में गहरी सामाजिक असमानतों से काफी प्रभावित होती है, जो जाति और आदिवासी पहचान के आधर पर सामाजिक उत्पीड़न से उत्पन्न होती है। इसके परिणामस्वरूप इन समूहों को शिक्षा के अवसरों से वंचित होना पड़ता है।

* सरकार की जिम्मेदारियाँः

सरकार को ऐसे समुदायों के पिछड़ेपन को पहचानना चाहिये और सक्रिय कदम उठाने चाहिये जिनमें शामिल हैंः

* गरीबी और निरक्षरता से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों और समुदायों की पहचान करना।

* इन समुदायों के निवास वाले क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाएं बढ़ाना।

* परिवारों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

* छात्रवृत्ति का प्रावधान और छात्रावास खोलना।

* पूरक शिक्षाः

अनुकूल सामाजिक वातावरण का अभाव एससी और एसटी समुदायों के छात्रों के बीच पढ़ाई छोड़ने और खराब प्रदर्शन के कारणों में से एक है। इसलिये सरकारों के लिये यह जरूरी है

कि वे सुधारात्मक कक्षाएं प्रदान करके और सरकार द्वारा वित्तपोषित ट्यूटोरियल कक्षाएं स्थापित करके अतिरिक्त शैक्षिक सहायता प्रदान करें। ये कक्षाएं उन छात्रों की सहायता कर सकती हैं जो विशिष्ट विषयों में संघर्ष करते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और शैक्षणिक प्रदर्शन बढ़ता है।

*** शिक्षा में समानता प्राप्त करनाः**

शिक्षा का सर्वोपरि लक्ष्य सामाजिक रूप से वंचित छात्रों के शैक्षिक मानकों को ऊपर उठाना होना चाहिये ताकि वे आत्मविश्वास और योग्यता के मामले में अपने साथियों के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।

निम्न जातियों और आदिवासियों को गलत तरीके से उनके साथ जुड़े 'पिछड़ेपन या कमी' के लांछन से उबरने में सक्षम बनाने के लिये इन कार्यों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिये।

जातिवादी, सांप्रदायिक और इसी तरह के संकीर्ण दृष्टिकोण को समाज से केवल एक शक्तिशाली सामाजिक–सांस्कृतिक आंदोलन के माध्यम से ही पूरी तरह से मिटाया जा सकता है। शिक्षा को इस प्रक्रिया में एक प्रेरक और उत्प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिये। कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की कहानियाँ, आख्यान या प्रस्तुति के रूप, जो जाति, जातीयत और सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों या घृणा को जन्म देते हैं, उन्हें ऐसे आख्यानों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये जो छात्रों को सामाजिक विविधताओं को स्वीकार करने में मदद करते हैं और साथ ही सामाजिक भेदभाव के मुद्दों को सुलझाने में मदद करते हैं।

ये समुदाय मुख्यधारा में नहीं थे, इसका मतबल यह नहीं है कि उनके पास ज्ञान नहीं था और उन्होंने समाज में कुछ भी योगदान नहीं दिया। ये सामाजिक रूप से भेदभाव के शिकार समुदाय विभिन्न प्रकार के सामाजिक रूप से उत्पादक श्रम में

लगे हुए हैं। यह आवश्यक है कि समाज में उनके योगदान को उजागर करने, रिकॉर्ड करने और प्रसारित करने के लिये विश्वविद्यालय शोध करें। शैक्षिक रूप से वंचित, सामाजिक रूप से वंचित लोगों के संचित ज्ञान का, जिसे अब तक पहचाना नहीं गया या उपेक्षित किया गया है, वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिये और शैक्षिक पाठ्यक्रम और सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिये।

शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की शैक्षिक समस्याएं

शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा अनूठी चुनौतियां प्रस्तुत करती है जिसके लिये एक व्यापक और मानवीय दृष्टि कोण की आवश्यकता होती है। पारंपरिक शैक्षिक असमानताओं के विपरीत, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की जरूरतें कई तरह की कठिनाइयों को लेकर आती हैं और इन्हें दूर करने के लिये व्यापक सहायता प्रणालियों की आवश्यकता होती है।

* चुनौतियों की श्रेणियांः

शारीरिक व मानसिक चुनौतियों वाले व्यक्तियों को पांच मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः

* दृष्टिहीन या दृष्टिबाधित

* बहरे और गूंगे (श्रवण और वाणी बाधित)

* अस्थि–विकलांग

* मानसिक रूप से विकलांग

* डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम जैसे सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्ति।

* प्रत्येक श्रेणी अलग–अलग शैक्षिक चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं,

जिसके लिये अनुकूलित शैक्षणिक, तकनीकी और संगठनात्मक रणनीतियों की आवश्यकता होती हैं।

* शिक्षा के उनके अधिकार की मान्यताः

* हमें दान और सहानुभूति के प्रचलित दृष्टिकोण से हटकर शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों के शिक्षा अधिकारों को मान्यता देने की आवश्यकता है। शिक्षा को इन व्यक्तियों को उनके मूल्य और क्षमता को पहचानने के लिये सशक्त बनाना चाहिये।

* सरकारी जिम्मेदारियाँः

* सरकार की एक महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी नियमित सर्वेक्षणों के माध्यम से शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की पहचान करना, अस्पतालों, नगर पालिकाओं और संबंधित संगठनों के साथ मिलकर डेटा एकत्र करना है।

* उपयुक्त बुनियादी ढाँचा बनाना महत्वपूर्ण है। इसमें विशेष विद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान बनाना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना (शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग समुदाय और आम जनता दोनों से) और उपयुक्त शिक्षण सामग्री और आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है।

* सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी सार्वजनिक और निजी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों को प्रवेश दें, विशेष शौचालय, लिफ्ट और उपयुक्त अध्ययन उपकरण और सहायक उपकरण प्रदान करें।

* सरकार विकलांगता की प्रत्येक श्रेणी के लिये समर्पित शैक्षणिक संस्थान स्थापित करेगी और विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती करेगी और उपयुक्त शिक्षण सामग्री प्रदान करेगी।

* नामांकन, प्रतिधारण (विद्यालयों में बने रहना) और सतत शिक्षाः

* सबसे चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक शैक्षिक कार्यक्रमों में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों का नामांकन और प्रतिधरण सुनिश्चित करना है। इसके लिये छात्रों और उनके अभिभावकों दोनों के लिये महत्वपूर्ण प्रेरणा और समर्थन की आवश्यकता होती है।

* समावेशिता को बढ़ावा देनाः

* शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये शिक्षा केवल एक अधिकार नहीं हैं, बल्कि उनकी पूरी क्षमता को साकार करने का एक मार्ग है। इस नीति का उद्देश्य उनके व्यक्तित्व और प्रतिभा के विकास को बढ़ावा देने के लिये शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।

* सरकार को यह सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिये कि सभी बच्चों को, चाहे उनकी शारीरिक चुनौतियाँ कुछ भी हों, एक समतावादी समाज की दृष्टि से उचित शैक्षिक अवसर और सहायता मिले।

* उन्हें उपयुक्त रोजगार प्रदान करने के लिये उचित उपाय किए जाने चाहिये ताकि उनमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने, समाज में सार्थक भूमिका निभाने का आत्मविश्वास पैदा हो।

धीमी गति से सीखने वाले के रूप में पहचाने जाने वाले छात्रों पर विशेष ध्यान और सहायता दी जानी चाहिये। शिक्षण पद्धति को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिये कि सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में धीमी गति से सीखने वाले लोगों को शामिल किया जा सके।

2.8 अन्य समुदायों के गरीबों के लिये शिक्षा

सरकार को यह स्वीकार करना चाहिए कि गरीबी शिक्षा के प्रसार में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। सामाजिक रूप से आगे मानी जाने वाली जातियों और समुदायों में भी ऐसे गरीब

परिवार देखे जा सकते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजने का खर्च नहीं उठा सकते। अगर माता–पिता गरीब हैं, तो नामांकन, प्रतिधारण और शिक्षा जारी रखना सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है। सरकार को ऐसे गरीब छात्रों की पहचान करनी चाहिये और उन्हें छात्रवृत्ति या फीस में छूट प्रदान करनी चाहिये ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।

2.9 दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा

ऊपर वर्णित छात्र श्रेणियों के अलावा, हम दुर्गम क्षेत्रों जैसे पहाड़ी क्षेत्रों, वन क्षेत्रों, रेगिस्तानों, सीमावर्ती क्षेत्रों और अन्य विरल आबादी वाले क्षेत्रों को भी जानते हैं, जहां शैक्षाणिक संस्थानों का अभाव है। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये प्रयास करने चाहिए कि ऐसे दूरदराज के क्षेत्रों में भी स्कूल हों ओर कोई भी इच्छुक छात्र स्थानीय दुर्गमताओं के कारण शिक्षा से वंचित न रहे।

2.10 परित्यकृत और लांछित बच्चों के लिये शिक्षा

इसी तरह, शहरों और कस्बों के बीच भी, हम सड़क पर रहने वाले बच्चों और यौन कर्मियों के बच्चों को देखते हैं जो शोषण और अपमान के शिकार हैं। ऐसे बच्चों को खुद पर छोड़ दिए जाने पर उनके आपराधिक गतिविधियों की ओर आकर्षित होने की पूरी संभावना रहती है। यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी श्रेणियों के बच्चों को भी उचित शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएँ ताकि वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें।

2.11 प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिये शिक्षा

हमारे देश में आजीविका की तलाश में परिवारों का पलायन एक सामान्य घटना है। इन परिवारों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है चाहे वे अपने माता–पिता से दूर रहें या उनके साथ रहें। सरकार को

इन बच्चों को शिक्षा प्रणाली में नामांकित करने और उन्हें बनाए रखने के लिये विशेष पहल करनी चाहिये।

भाग–I
स्कूल स्तर पर शैक्षिक संरचना

3.1 अनुशंसित स्कूल शैक्षिक संरचना

समय की कसौटी पर जांची परखी 10+2 प्रणाली को बाधित करने और उसकी जगह 5+3+3+4 प्रणाली लागू करने के लिये कोई वैध वैज्ञानिक कारण नहीं हैं। एनईपी 2020 प्री–स्कूल (आधारभूत चरण) और प्राथमिक विद्यालयों (प्रारंभिक चरण) के बीच एक संरचनात्मक अलगाव चाहती है। जबकि शिक्षा के शुरुआती चरणों में बच्चों के विकास में शैक्षणिक तरीके अलग–अलग हो सकते हैं, जैसा कि शिक्षा के सभी चरणों के मामले में होता है, प्राथमिक विद्यालयों से प्री–स्कूलों का संरचनात्मक अलगाव प्रतिकूल होगा और एकीकृत स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के विचार के विपरीत है।

पीईपी का विचार है कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को वस्तुगत रूप और परिचालन की दृष्टि से दोनों तरह से एक में एकीकृत किया जाना चाहिये। इससे बच्चों को प्री–स्कूल से प्राइमरी और मिडिल कक्षाओं में बेहतर प्रवेश की सुविधा मिलेगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बीच शिक्षा प्रणाली से बड़ी संख्या में बच्चे बाहर हो जाते हैं। एकल शैक्षिक पारिस्थिकी की तंत्र के लिये पर्याप्त बुनियादी ढांचे, शिक्षण और अन्य कर्मचारियों के विस्तार ओर विकास की आवश्यकता होगी। इसका भौतिक और मानवीय दोनों संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान के साथ 10+2 प्रणाली स्कूल स्तर पर शैक्षिक संरचना का गठन करेगी।

3.2 स्कूल स्तर की अवस्थाएं

* पूर्व प्राथमिकः कक्षा 1 में प्रवेश से दो साल पहले।

* प्राथमिक स्कूली शिक्षाः कक्षा 1 से 5 तक, 5 वर्ष की आयु में कक्षा 1 में प्रवेश*।

(* राज्य यह तय कर सकते हैं कि आपैचारिक स्कूली शिक्षा 5 वर्ष की आयु से शुरू की जाए या 6 वर्ष की आयु से।)

मिडिल स्कूलः कक्षा 6 से 8

उच्च माध्यमिक विद्यालयः कक्षा 9–10

उच्चतर माध्यमिकः कक्षा 11–12**

(**राज्य यह तय कर सकते हैं कि कक्षा 11 से 12, यानी हायर सेकेडरी चरण, स्कूलों में या जूनियर/डिग्री कॉलेजों में पढ़ाना है या नहीं।)

3.3 निःशुल्क और अनिवार्य स्कूली शिक्षा

सरकार का लक्ष्य प्लस टू तक यानि हायर सेकेंडरी स्तर तक निःशुल्क, समान/सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना होगा, जिसका पूरा खर्च केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाया जायेगा।

भाग–II
प्री–स्कूल शिक्षा

4.1 प्री–प्राइमरी शिक्षा

प्री–प्राइमरी शिक्षा या ईसीसीई एक बच्चे को सुसंगत रूप से विकसित करने और स्वस्थ नागरिक बनाने के लिये बहुत महत्वपूर्ण है।

प्री–प्राइमरी शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का समग्र विकास है, जिसमें स्वास्थ्य, पोषण और वृद्धि–निगरानी सेवाओं द्वारा पर्याप्त रूप से समर्थित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिये। इसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये। प्री–स्कूल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के अगले चरण के लिये तैयार करना है। इस स्तर पर, बच्चों की मनोवैज्ञानिक बनावट को ध्यान में रखते हुए, हमें आधारभूत ज्ञान प्रदान करने के लिये अनौपचारिक तरीकों का उपयोग करना चाहिये, जिसमें ध्वनि विन्यास में प्रशिक्षण भी शामिल है। प्री–स्कूलों को वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किया जाना चाहिये और खेल–उन्मुख होना चाहिये। उन्हें खेल, गाने और अन्य मनोरंजक शिक्षण गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना चाहिये।

4.2 प्री स्कूलिंग की अवधि

कक्षा 1 से पहले, प्री प्राइमरी स्कूलिंग दो साल की होगी है।

4.3 अनिवार्य नहीं

पीईपी बच्चों के लिये प्री–स्कूलिंग को प्रोत्साहित करती है, लेकिन कक्षा 1 में प्रवेश के लिये प्री–स्कूल को अनिवार्य शर्त

बनाने के पक्ष में नहीं है। प्री–प्राइमरी शिक्षा पूरी तरह से माता–पिता की पसंद होगी और अनिवार्य नहीं होगी।

4.4 प्री–स्कूलिंग और सरकार की जिम्मेदारी

सरकार पूरे देश में, खासकर गांवों में, स्कूली शिक्षा विभाग के तहत आवश्यक बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ प्री–प्राइमरी स्कूल शुरु करेगी।

आंगनवाड़ी जैसे सरकारी प्रायोजित डे–केयर सेंटर का इस्तेमाल बच्चे की देखभाल और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिये किया जा सकता है लेकिन आंगवाड़ी कार्यकर्ता प्री–प्राइमरी स्कूलिंग करने में सक्षम नहीं हैं।

निजी प्री–स्कूल भी स्कूल शिक्षा विभाग की देखरेख में होने चाहिये। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सरकारी और निजी प्री–स्कूल प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा चलाए जाएं।

4.5 बुनियादी ढांचा और पहुंच

* विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ सरकार द्वारा संचालित प्री–प्राइमरी स्कूल स्थापित किए जाएं। एनईपी 2020 प्री–स्कूलों के लिये सुविधाएं स्थापित करने के संबंध में निम्नलिखित चार–स्तरीय दृष्टिकोण सुझाती हैः

* मौजूदा आंगवाड़ी प्रणाली को मजबूत करना और उसका विस्तार करना;

*आंगवाड़ियों को प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह–स्थान देना; *प्री–स्कूलों को प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह–स्थान देना, और *स्टैंड–अलोन प्री–स्कूलों का निर्माण करना।

उपरोक्त दृष्टिकोण विशेष रूप से संरचनात्मक और परिचालन रूप से अधिक समस्याएँ पैदा कर सकते हैं। इसलिये, पीईपी सुझाव देती है कि सभी प्राथमिक विद्यालयों को प्री–प्राइमरी

कक्षाओं की स्थापना के लिये पर्याप्त बुनियादी ढाँचा प्रदान किया जाना चाहिये। प्रारंभिक और आधारभूत चरणों का कृत्रिम पृथक्करण शहरी निजी विद्यालयों का एक नवाचार है जो उन विद्यालयों की तुलना में कोई वैध औचित्य प्रस्तुत नहीं करता है जहाँ प्री–स्कूल प्राथमिक विद्यालय प्रणाली का एक हिस्सा है। आंगनवाड़ी केन्द्रों की भूमिका बहुत बड़ी है जहां बच्चों की शैक्षिक जरूरतें कई अन्य गतिविधियों में से एक है। इसलिये, यह सुझाव दिया जाता है कि आंगनवाड़ी प्रणाली को स्वतंत्र रूप से संचालित होने के लिये छोड़ दिया जाना चाहिये और इसे प्री–स्कूल प्रणाली के लिये प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिये।

*प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के संबंध में हमारी नीति के अनुसार प्री–प्राइमरी स्कूल छात्रों के निवास से 1 किलोमीटर की सीमा के भीतर स्थित होंगे।

4.6 शिक्षक प्रशिक्षण और मानक

*शिक्षकों, विशेष रूप से बाल मनोविज्ञान और व्यवहार में प्रशिक्षित महिला शिक्षकों की भर्ती करें। सुनिश्चित करें कि शिक्षकों में धैर्य, करुणा और प्रभावी शिक्षण विधियों का ज्ञान जैसे गुण हों।

*गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये एक कक्षा में प्रत्येक 15 छात्रों के लिये एक शिक्षक का अनुपात बनाए रखें।

*प्री–स्कूलों को आरटीई के दायरे में लाया जाना चाहिये।

4.7 निजी स्कूलों में शुल्क संरचना

सरकार निजी स्कूलों और संस्थानों की फीस संरचना को इस तरह से विनियमित करेगी कि यह आम आदमी की पहुंच में हो और इसे अभिभावकों की एक समिति द्वारा तय किया जायेगा।

भाग–III

स्कूल शिक्षा

5.1 परिचय

राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 चौदह वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। चूंकि स्कूली शिक्षा प्री–स्कूल से कक्षा 12 तक है, इसलिये पीईपी का प्रस्ताव है कि सरकार को सभी छात्रों के लिये कक्षा 12 तक निःशुल्क और अनिवार्य स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करनी चाहिये। एनईपी 2020 के नाम पर शुरू की गई स्कूली शिक्षा पर कई सरकारी नीतियों के बारे में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। एनईपी 2020 द्वारा प्रस्तावित शिक्षा के व्यवसायीकरण और रचनावादी शैक्षणिक तरीकों जैसे विचारों की समीक्षा करना आवश्यक है। इसी तरह, भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) के नाम पर पाठ्यक्रम में किए गए बदलावों पर पुनर्विचार करना आवश्यक है।

5.2 वित्तीय जिम्मेदारी और बुनियादी ढांचा

केन्द्र और राज्य सरकारें प्री–प्राइमरी से लेकर हायर सेकैंडरी स्तर तक स्कूली शिक्षा के सम्पूर्ण खर्चे की जिम्मेदारी लेंगी। इसमें शामिल हैं:

*अलग–अलग कक्षाओं के लिये अलग–अलग क्लासरूम, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं, खेल के मैदान, खेल सामग्री, लड़के और लड़कियों के लिये अलग–अलग शौचलाय, पीने के पानी की व्यवस्था और व्यायामशाला जैसी उचित और पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना।

*ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत से अधिक उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाएं और शिक्षण सुविधाएं नहीं हैं। इस कमी को तत्काल दूर करने की आवश्यकता है।

*शिक्षण और सीखने के लिये अनुकूल माहौल बनाने के लिये सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करना।

*छात्रों की संख्या बनाए रखने के लिये निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, यूनिफॉर्म, मध्याहन भोजन, वजीफा, छात्रवृत्ति और अन्य आवश्यक सहायता की आपूर्ति जारी रखना।

5.3 सर्वांगीण विकास

शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, नैतिक और सामाजिक विकासः

अनुभव और अभ्यास से सीखने के माध्यम से सर्वांगीण विकास पर जोर देना।

सह–पाठ्यचर्या गतिविधियांः सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिये शारीरिक शिक्षा, कला, संगीत, नाटक और हस्तशिल्प में भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

स्वैच्छिक और भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिये वार्षिक सांस्कृतिक समारोहों, खेल प्रतियोगिताओं ओर प्रदर्शनियों में भागीदारी को प्रोत्साहित करें।

5.4 प्रोन्नति और मूल्यांकन

*वार्षिक परीक्षाएंः छात्र प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में व्यवस्थित मूल्यांकन।

*पास–फेल प्रणालीः एएसईआर की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र निचली कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने और समझने में असमर्थ हैं। यह दर्शाता है कि छात्र उन विषयों को आत्मसात किए बिना उच्च कक्षाओं में चले जाते हैं जो उन्हें पढ़ाए गए थे। इसलिये कक्षा

1 से पास फेल प्रणाली शुरु करना और साथ ही खराब प्रदर्शन करने वाले छात्रों को विशेष कक्षाओं ओर कोचिंग केन्द्रों के रूप में शैक्षणिक सहायता प्रदान करना आवश्यक है ताकि वे सीखें और असफल न हों। उचित संस्थागत सहायता प्रणाली की शुरुआत से छात्र समुदाय को लाभ होगा।

*सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों का दाखिला हो और कक्षा 12 तक स्कूल में बने रहें।

5.5 बचाव और सुरक्षा उपाय

*बाल संरक्षण अनुपालनः छात्रों की सुरक्षा ओर आत्मसम्मान को सुनिश्चित करने के लिये POCSO और अन्य बाल संरक्षण कानूनों का सख्ती से पालन किया जाना।

*जागरूकता कार्यक्रमः माता–पिता, शिक्षकों और हितधारकों को सुरक्षा उपायों ओर बाल संरक्षण नीतियों के बारे में शिक्षित करने के लिये पहल कदमी लेना।

*परामर्श सेवाएंः छात्रों की व्यक्तिगत और शैक्षणिक चुनौतियों का समाधान करने और उनका समर्थन करने के लिये प्रत्येक संस्थान में छात्रा परामर्शदाताओं की अनिवार्य नियुक्ति।

*दुर्व्यवहार के प्रति शून्य सहिष्णुताः कोई शारीरिक दंड या मानसिक यातना की अनुमति नहीं होना चाहिये, जिससे सुरक्षित और सहायक शिक्षण वातावरण सुनिश्चित हो सके।

*गैर–भेदभावः जाति, पंथ, धर्म, लिंग, भाषा या सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये।

5.6 प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से 5)

पाठ्यचर्या विकासः

*बच्चों को कक्षा 1 से थ्री आर–पढ़ना, लिखना, अंकगणित सिखाया जाना चाहिये।

*शिक्षण का माध्यम–मातृभाषा या राज्य भाषा होगी।

*कक्षा 1 से अंग्रेजी भी पढ़ाई जाएगी।

*मुख्य विषयः दो भाषाएं, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, गणित (अंकगणित और ज्यामिति पर ध्यान केंद्रित करना)।

*पर्यावरण के बारे में जागरुकता।

*कक्षा 1–10 तक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों को पढ़ाया जाएगा। आवश्यक शिक्षकों की संख्याः प्रति कक्षा दो शिक्षक।

5.7 मिडिल स्कूल शिक्षा (कक्षा 6 से 8)

पाठ्यचर्या विकासः

*मातृभाषा और अंग्रेजी पर ध्यान केंद्रित करते हुए दो भाषाओं में निरंतर निर्देश।

*कक्षा 5 से तार्किकता तर्क की शुरुआत के साथ इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र और गणित पर अधिक ध्यान दिया जायेगा ताकि आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सके।

*छात्रों को जिम्मेदार व्यक्तियों के रुप में विकसित करने के लिये वैज्ञानिक ओर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक विज्ञान पढ़ाना।

आवश्यक शिक्षकों की संख्याः प्रति कक्षा कम से दो शिक्षक और शिक्षक–छात्र अनुपात 1:30 होगा।

5.8 माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 9 और 10)

ज्ञान और संज्ञानात्मक विकासः

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की विशिष्ट धाराओं में सुगम प्रवेश की सुविधा के लिये तार्किक संकायों और व्यापक ज्ञान के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना।

विद्यालयों का मानकीकरणः

*मौजूदा और नए स्थापित उच्च विद्यालयों को पांच वर्षों के भीतर पर्याप्त सुविधाओं और प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ अपग्रेड करना।

*उचित शिक्षा और व्यक्तिगत ध्यान सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक विषय के लिये अलग-अलग शिक्षक, प्रति कक्षा कम से कम दो शिक्षक और प्रति 30 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात प्रदान करना।

*सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों का समर्थन करने के लिये अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं, व्यायामशालाएं, खेल के मैदान और सांस्कृतिक सुविधाएं प्रदान करना।

*उच्च विद्यालय विद्यार्थियों के निवास से तीन किलोमीटर के भीतर स्थित होने चाहिएं, भले ही विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो, प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिये।

पाठ्यक्रम और वैकल्पिक विषयः

*भाषाएं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सामान्य विज्ञान और गणित की निरंतरता बनाए रखना।

*अर्थशास्त्र, सामाजिक अध्ययन, राजनीति विज्ञान, दर्शनशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान और मानव विज्ञान जैसे विशेष क्षेत्रों से कम से कम दो वैकल्पिक विषय।

बोर्ड परीक्षा

कक्षा 10 के अंत में एक बोर्ड परीक्षा आयोजित की जानी चाहिये।

5.9 उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 11 और 12)

*सामान्य स्कूली शिक्षा और कॉलेज/विश्वविद्यालय शिक्षा के

बीच एक सेतु के रूप में +2 स्तर को पुनर्गठित करना।

*विविध स्ट्रीम और पाठ्यक्रमः छात्र की पसंद, क्षमता और योग्यता के आधार पर विविध स्ट्रीम (कला, विज्ञान, वाणिज्य और अन्य) प्रदान करें।

*सभी स्ट्रीम के लिये भाषा और साहित्य पाठ्यक्रम में मातृभाषा और अंग्रेजी की अनिवार्यता।

*प्रत्येक स्ट्रीम के लिये उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध हों।

पहुंच और मानकीकरणः

सुनिश्चित करें कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अच्छी तरह से सुसज्जित स्कूलों या कॉलेजों के माध्यम से प्रदान की जाए। विभिन्न छात्र हितों और कैरियर आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये मुख्य विषय के साथ अतिरिक्त ऐच्छिक विषय चुनने का विकल्पः

बोर्ड परीक्षाः

कक्षा 12 के अंत में बोर्ड परीक्षा होगी।

5.9 प्रवेश और सहायताः समावेशी प्रवेशः

वंचित/हाशिए पर पड़े समूहों को वरीयताः सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों, अल्पसंख्यकों और पहली पीढ़ी के छात्रों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जायेगी।

5.10 स्कूलों में पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम

***भाषाएंः** शिक्षा मातृभाषा या राज्य भाषा और अंग्रेजी में होगी।

*मुख्य विषयः इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, गणित, राजनीतिक विज्ञान अर्थशास्त्र और वैकल्पिक विषय, जिनमें भाषाएं शामिल हैं।

*सामान्य ज्ञानः भारतीय संविधान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान और विश्व मामलों जैसे विषयों को शामिल किया जाना चाहिये।

*तार्किक शक्तिः आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ाने के लिये कक्षा 5 से शुरू किया जाना चाहिये।

*नैतिक ओर पर्यावरण शिक्षाः जिम्मेदार व्यक्तियों को विकसित करने के लिये वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक विज्ञान पढ़ाना।

5.11 स्कूल स्तर पर परीक्षाएं

वार्षिक होंगी और बीच–बीच में सत्रवार परीक्षाएं होंगी। पीईपी स्कूलों में सेमेस्टर प्रणाली लागू करने का विरोध करती है।

5.12 स्कूल पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में बदलाव

सामाजिक आवश्यकताओं और विभिन्न विषयों में ज्ञान के क्षेत्र में हो रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की समय–समय पर समीक्षा की जा सकती है। लेकिन बदलाव उचित अकादमिक समितियों द्वारा किए जाने चाहिये, जिसमें शिक्षाविद और विषय विशेषज्ञ शामिल होने चाहिये। राजनेताओं और सरकारों को यह तय नहीं करना चाहिये कि क्या पढ़ाया जाना चाहिये, या स्कूल के पाठ्यक्रम में क्या जोड़ा जाना चाहिये और क्या हटाया जाना चाहिये। धार्मिक पूर्वाग्रहों, सांप्रदायिक एजेंडे और विज्ञान विरोधी विचारों को पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम निर्माण को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

5.13 शिक्षण प्रशिक्षण और गुणवत्ता सुधार

शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम ताकि विषय ज्ञान को लगातार उन्नत किया जा सके और शिक्षण विधियों और मानकों में सुधार किया जा सके। नई शैक्षिक सहायक सामग्री के ज्ञान को उन्नत करना और सीखने–सिखाने को मजबूत करने के लिये शिक्षण सहायक सामग्री का संतुलित उपयोग करना।

भाग–IV

व्यावसायिक शिक्षा

पीईपी शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ है, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के खिलाफ नहीं है। व्यवसायीकरण यह गलत धारणा देता है कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य आजीविका कमाना है और व्यवसाय की शिक्षा सभी को आजीविका कमाने में मदद करती है। सभी के पास जीवित रहने के लिये एक अच्छी नौकरी होनी चाहिये। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाने से कहीं अधिक है। इस विचार के साथ, पीईपी अनुशंसा करता है कि कक्षा 10 तक की शिक्षा सभी के लिये समान होनी चाहिये। स्कूली शिक्षा के मध्य चरण में, छात्र भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, गणित और विज्ञान जैसे विषयों में उचित स्तर तक ज्ञान प्राप्त करके माध्यमिक चरण के लिये तैयार होते हैं। मिडिल स्कूल में व्यावसायिक धाराओं की शुरूआत अनिवार्य रूप से वर्तमान में पढ़ाए जाने वाले कुछ विषयों की जगह ले लेगी। यह बुनियादी शिक्षा की उस सामग्री को कमजोर करेगा, जिससे छात्रों को विभिन्न विषयों में बुनियादी ज्ञान से परिचित कराने की उम्मीद की जाती है। शिक्षा व्यवसाय सीखने से कहीं अधिक है। इसके अलावा, देश के अधिकांश स्कूलों में बड़ी संख्या में छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करने की विशेषज्ञता नहीं है। इसलिये, दसवीं कक्षा तक छात्रों पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का बोझ नहीं डाला जाना चाहिये।

हालांकि, पीईपी स्वीकार करती है कि समाज को मैकेनिक, प्लंबर, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, प्रयोगशाला तकनीशियन और कई अन्य व्यवसायों में प्रशिक्षित विशेषज्ञों की सेवाओं की भी आवश्यकता है। जो छात्र व्यावसायिक शिक्षा लेने की इच्छा रखते

हैं, उनके लिये कक्षा 10 के बाद व्यावसायिक स्ट्रीम होनी चाहिये।

6.1 कक्षा 10 में माध्यमिक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिये व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान होगा।

6.2 सरकार द्वारा वित्तपोषित आईटीआई, पॉलिटेक्निक पर्याप्त संख्या में होने चाहिये ताकि व्यावसायिक शिक्षा लेने के इच्छुक सभी छात्रों को प्रवेश पाने का अवसर मिल सके। व्यावसायिक शिक्षा में उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम भी प्रदान किए जा सकते हैं।

6.3 व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को ऐसे कौशल से लैस करेगी जो उन्हें कोई व्यवसाय सीखने में सक्षम बनाए। एक वर्ष या दो वर्ष तक व्यावसायिक संस्थान में अध्ययन करने के बाद छात्र को किसी विशेष व्यापार के लिये प्रमाण पत्र मिलेगा। तीन साल की पढ़ाई के बाद इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा मिलेगा।

6.4 व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले सभी संस्थानों में अच्छी तरह से सुसज्जित कार्यशालाएं, प्रशिक्षक और अन्य संबंधित सामान होंगे।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिये पाठ्यक्रम और पाठ्य चर्या क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाने चाहिये।

6.5 विशेष ट्रेडों में प्रशिक्षित करने के अलावा, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में समाज और संस्कृति की स्वस्थ समझ विकसित करने के लिये विज्ञान और मानवीयता के पर्याप्त संख्या में विषय भी होने चाहिये।

6.6 आईटीआई, पॉलिटेक्निक जैसे व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों को संबंधित उद्योगों से जोड़ा जाना चाहिए ताकि छात्रों को व्यावहारिक अनुभव मिल सके। नौकरी पाने में पास-आउट की सहायता के लिये आईटीआई और पॉलिटेक्निक में प्लेसमेंट सेल होने चाहिएं।

6.7 प्रत्येक छात्र के पास विशेषज्ञता के अगले स्तर पर जाने के लिये पर्याप्त गुंजाइश होनी चाहिये। उदाहरण के लिये किसी व्यावसायिक संस्थान से एक साल या दो साल का सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को डिप्लोमा कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए। इसी तरह, डिप्लोमा पूरा करने वाले छात्रों को डिग्री कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

6.8 सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि व्यावसायिक शिक्षा का बड़े पैमाने पर व्यावसायीकरण न हो। निजी संस्थानों में फीस गरीब छात्रों की पहुंच में होनी चाहिये।

6.9 सरकारी और निजी वित्त पोषित संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों के लिये मुफ्त छात्रवृत्ति और रियासती शुल्क के भुगतान का प्रावधान होना चाहिये।

6.10 सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के नए, उभरते क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिये व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को उन्नत किया जाये।

भाग–V

उच्च शिक्षा–विश्वविद्यालय प्रणाली

7.1 परिचय

उच्च शिक्षा अध्ययन के चुने हुए विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, न्यायशास्त्र आदि में अधिक व्यापक और उन्नत ज्ञान प्रदान करती है। उच्च शिक्षा संस्थान (HEI) बौद्धिक जिज्ञासा को बढ़ावा देते हैं, नवाचार को बढ़ावा देते हैं और छात्रों को पेशेवर और नागरिक भूमिकाओं के लिये तैयार करते हैं। वे ज्ञान, आलोचनात्मक सोच, कौशल और एक जटिल दुनिया में मार्गदर्शन करने और उसमें योगदान देने के लिये आवश्यक नैतिक ढांचा प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत विकास में योगदान देने के अलावा, उच्च शिक्षा अनुसंधान को आगे बढ़ाकर, सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देकर और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करके सामाजिक प्रगति में योगदान देती है। विश्वविद्यालय किसी भी देश की उच्च शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

एक विश्वद्यिालय उच्च शिक्षा की आधारशिला है। यह एक गतिशील केंद्र है जहां शिक्षक, छात्र, विद्वान और शोधकर्ता ज्ञान अर्जन करने, प्रसारित करने और संरक्षित करने के लिये एक साथ आते हैं। यह अनुसंधान को बढ़ावा देता है, सांस्कृतिक आदान–प्रदान, सामाजिक गतिशीलता और नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है।

विश्वविद्यालय मानव मस्तिष्क को प्रज्वलित करते हैं, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों को बढ़ावा देते हैं, तथा जटिल राष्ट्रीय

और वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने में सहायता करते हैं। प्राचीन भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। लेकिन वे पूरी तरह से धर्म निरपेक्ष नहीं थे और सभी वर्गों के लोगों के लिये सुलभ नहीं थे। आधुनिक अर्थों में विश्वविद्यालय के विचार ने औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई के दौरान आकार लिया। विश्वविद्यालय को मानवीयता, सहिष्णुता, तर्क और प्रगति के मूल्यों का पोषण करना चाहिये।

हाल ही में, विश्वविद्यालय प्रणाली वित्तीय बाधाओं, विश्वविद्यालय स्वायत्तता पर हमलों, निजीकरण ओर व्यावसायीकरण के कारण कई चुनौतियों का सामना कर रही है। सरकार निजी विश्वविद्यालयों के विकास को प्रोत्साहित कर रही है और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिये लगभग कुछ नहीं कर रही है। यह बदलाव गरीब और मध्यम वर्ग के उन छात्रों की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं।

7.2 सभी के लिये उच्च शिक्षा तक पहुंच

सभी पात्र उम्मीदवारों को उच्च शिक्षा तक पहुंच प्राप्त होगी। सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के सुचारू संचालन के लिये आवश्यक अधिसंरचना सुविधाएं और मानव संसाधन प्रदान करना केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। कोई भी पात्र छात्र गरीबी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिये। सरकारों को विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिये पर्याप्त धनराशि आवंटित करनी चाहिये तथा गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को सक्षम बनाने के लिये अधिक सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापित करने चाहिये। प्रत्येक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में सभी आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिये, जैसे कक्षा–कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, सेमिनार हॉल और मनोरंजन सुविधाएं आदि।

7.3 शिक्षकों की नियमित भर्ती

विश्वविद्यालयों में हजारों शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। देश में कई विश्वविद्यालय और महाविद्यालय न्यूनतम संख्या में शिक्षकों के साथ चल रहे हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अयोग्य व्यक्ति शिक्षक बन जाते हैं। इसलिये, अधिकांश सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और सरकारी महाविद्यालयों में शैक्षणिक मानकों में गिरावट देखी जा सकती है। शिक्षण और सीखने के पर्याप्त मानक सुनिश्चित करने के लिये, भर्ती की निष्पक्ष प्रणाली के माध्यम से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पर्याप्त संख्या में योग्य शिक्षकों की भर्ती पर ध्यान देना आवश्यक है। शिक्षक–छात्र अनुपात यूजी स्तर पर 1:15 और पीजी स्तर पर 1:10 के अनुपात में होना चाहिये। नियमित अंतराल पर भर्ती होनी चाहिये और यदि रिक्तियां वर्षो तक नहीं भरी जाती हैं तो अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिये।

7.4 विश्वविद्यालीन शिक्षा

विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न विषयों–कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन से संबंधित पाठ्यक्रम सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों होने चाहिये। जबकि कुछ पाठ्यक्रम सामान्य हैं, विश्वविद्यालय और कॉलेज विशेष पाठ्यक्रम भी पढ़ाने के लिये चुन सकते हैं। स्कूलों और विभागों की योजना उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित तरीके से बनाई जायेगी। न्यूनतम संख्या में शिक्षकों और पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना किसी भी शैक्षणिक विभाग को शुरू करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7.5 डिग्री कार्यक्रमों के पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम

पिछले कुछ वर्षो में कई उच्च शिक्षा संस्थानों ने सेमेस्टर प्रणाली को अपना लिया है। यह विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों

और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी प्रचलन में है, जिनके पास बेहतर बुनियादी ढांचा और पर्याप्त संकाय है। लेकिन हाल के वर्षों में, कुछ राज्य ओर उच्च शिक्षा संस्थान सेमेस्टर/त्रैमासिक पैटर्न अपना रहे हैं, भले ही पर्याप्त शिक्षक और बुनियादी ढांचा न हो। कुछ विषयों में, सेमेस्टर पैटर्न की आवश्यकता हो सकती है और संभव भी हो सकता है। लेकिन जिन संस्थानों में बुनियादी ढांचा और शिक्षण संकाय सीमित है वहां सेमेस्टर और ट्राइमेस्टर पैटर्न में बदलाव से शिक्षकों पर भारी बोझ पड़ता है जिन्हें कई मध्यावधि परीक्षाएं, सेमेस्टर परीक्षाएं और स्क्रिप्त का मूल्यांकन करना होता है। प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या में धीरे–धीरे वृद्धि से सेमेस्टर पैटर्न को कुशलतापूर्वक चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत कम समय में बहुत सारी परीक्षाएं होना छात्रों के लिये भी बोझ बन जाता है। पढ़ाने के लिये कम समय और बार–बार होने वाली परीक्षाओं के कारण फुर्सत और सीखने–सिखाने की प्रक्रिया के लिये बहुत कम समय बचता है। इसलिये यह आवश्यक है कि जहां भी सेमेस्टर पैटर्न, प्रतिकूल पाया जाता है, वहाँ शिक्षा–शिक्षण और सीखने की गुणवत्ता से समझौता किए बिना वार्षिक पैटर्न पर लौटने की आवश्यकता है।

सभी डिग्री कार्यक्रमों में, सभी पाठ्यक्रमों के लिये पाठ्यक्रम तैयार किये जाने चाहिये और ज्ञान में निरंतर प्रगति के अनुरूप समय–समय पर उन्हें नवीनतम किया जाना चाहिये। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की सामग्री अकादमिक निकायों में पर्याप्त विचार–विमर्श के माध्यम से विकसित की जायेगी और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। जिन समितियों को जिम्मेदारी दी गई है, वे किसी बाहरी प्रभाव में नहीं होनी चाहिये और उन्हें पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या तैयार करने या संशोधित करने के दौरान अपने दृष्टिकोण में तर्कसंगत, वैज्ञानिक और पेशेवर होना चाहिये। उन्हें सिद्धांत, प्रयोगशाला आधारित प्रयोगात्मक अध्ययन और क्षेत्र अध्ययन के माध्यम से अनुशासन के व्यापक ज्ञान पर जोर देना चाहिये। सभी विश्वविद्यालयों को सभी विषयों में ज्ञान

की उभरती या आगे बढ़ती सीमाओं से अवगत रहना चाहिये और तदनुसार स्नातकोत्तर स्तर पर अंतर्विषयक चरित्र के नए कार्यक्रम शुरू करने चाहिये।

7.6 परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया

ये परीक्षाएं विश्वविद्यालयों द्वारा सभी डिग्री और स्नाकोत्तर शिक्षा के लिये आयोजित की जायेंगी। जहां बिल्कुल जरूरी होगा, वहां सेमेस्टर प्रणाली जारी रहेगी। लेकिन जहां भी संभव हो, हमें परीक्षाओं की वार्षिक प्रणाली पर वापस लौटने की जरूरत है। वार्षिक मोड में, साल के अंत में टर्मिनल परीक्षाओं के बाद मध्यावधि परीक्षाएं होंगी। चाहे वह सेमेस्टर पैटर्न हो या वार्षिक हो या वार्षिक परीक्षाएं, उनसे पहले न्यूनतम शिक्षण दिवस होने चाहियें।

सिद्धांत, व्यावहारिक और स्थानीय अध्ययन को कवर करने के लिये परीक्षा और मूल्यांकन के तरीकों को मानकीकृत और व्यापक बनाया जायेगा। परीक्षाओं में न केवल जानकारी का परीक्षण किया जाना चाहिये, बल्कि डेटा की व्याख्या करने और उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की उनकी क्षमता का भी परीक्षण किया जाना चाहिये।

परीक्षा संबंधी कार्यों को आउटसोर्स नहीं किया जायेगा। विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा संस्थान में शैक्षणिक और परीक्षा प्रक्रिया के समुचित संचालन की समीक्षा करने के लिये छात्र प्रतिनिधियों, इसके सदस्यों सहित एक आंतरिक शैक्षणिक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया जा सकता है।

7.7 उच्च शिक्षा में अंतर्विषयक दृष्टिकोण

ज्ञान प्रकृति में अंतर्विषयक है तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तेजी से विकास के साथ, उच्च शिक्षा के लिये अंतर्विषयक दृष्टिकोण की सख्त जरूरत है। हालांकि, हर कार्यक्रम की अपनी विशेषज्ञता और विशिष्टताएं होती हैं। इसलिये, पाठ्यक्रम और

सिलेबस को संबंधित कार्यक्रमों के मुख्य पाठ्यक्रमों के लिये मुख्य महत्व के साथ डिजाइन करने की आवश्यकता है। वैकल्पिक पाठ्यक्रम पेश किये जा सकते हैं जो संबंधित डिग्री कार्यक्रमों के लिये प्रासंगिक हैं। इस अंतर्विषयक दृष्टिकोण को NEP के बहुविषयक पाठ्यक्रमों के विचार से अलग किया जाना चाहिये जो बिना किसी उद्देश्य के किसी भी विषय को चुनने के कैफेटेरिया यानि कि काफी हाउस (कभी भी आओ और कभी भी जाओ) दृष्टिकोण की वकालत करता है।

7.8 क्रेडिट ट्रांसफर प्रणाली

छात्रों के आदान–प्रदान कार्यक्रम के तहत दो विश्वविद्यालयों के बीच विशिष्ट शिक्षण समझौतों के तहत क्रेडिट ट्रांसफर मैकेनिज्म को अपनाया जा सकता है। शिक्षण समझौतों को सावधानीपूर्वक पूरा किए बिना विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस पहलू को विस्तारित करने से पाठ्यचर्या संरचना को गंभीर नुकसान होगा और इसलिये, कार्यक्रम और पाठ्यक्रम तुल्यता के मुद्दे पैदा होंगे। पाठ्यक्रम समतुल्यता के बिना क्रेडिट हस्तांतरण तंत्र उच्च शिक्षा में अव्यवस्थित स्थिति पैदा करेगा और अर्जित डिग्री भी अपनी प्रासंगिकता और गुणवत्ता खो देगी।

7.9 सभी विश्वविद्यालयों को शिक्षण और अनुसंधान के लिये सुव्यस्थित साधन सम्पन्न बनाया जायेगा

कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का प्राथमिक कार्य शिक्षण है। हालांकि, संस्थानों में शिक्षण तभी फलेगा–फूलेगा जब अनुसंधान भी उचित महत्व के साथ किया जायेगा। विशेष रूप से संबद्ध प्रकार के विश्वविद्यालय संबद्ध संस्थानों को पोषित करने में सक्षम होंगे यदि विश्वविद्यालय उच्च गुणवत्ता के शिक्षण और अनुसंधान दोनों में संलग्न हैं। विश्वविद्यालयों को अनुसंधान रुचियों वाले प्रतिष्ठित शिक्षकों की भर्ती करने और उन्नत अनुसंधान करने के लिये प्रयोगशालाओं को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिये पर्याप्त धन आवंटित किया जायेगा। इस

प्रकार, सभी विश्वविद्यालय शिक्षण के अलावा अनसुधान गतिविधियों के लिये समान रूप से सुसज्जित होंगे और शिक्षण और अनुसंधान विश्वविद्यालयों के नाम पर उनके बीच कोई ग्रेड अलगाव नहीं होगा। अच्छी तरह से पोषित और संसाधन पूर्ण विश्वविद्यालय संबद्ध संस्थानों को उच्च शैक्षणिक मानक हासिल करने में मदद करेंगे। इसलिये उच्च शिक्षा को वास्तव में सार्वभौमिक बनाने के लिये सभी विश्वविद्यालयों का विकास किया जायेगा।

7.10 मान्यता और रैंकिंग

विश्वविद्यालय और कॉलेज अलग-अलग जनसांख्यिकी, भौगोलिक और सामाजिक परिवेश में अलग-अलग सामाजिक उद्देश्यों के साथ स्थापित किये जाते हैं। ऐसे सभी संस्थानों की मान्यता और रैंकिंग के लिये समान मानदंडों का उपयोग करना, जैसा कि NAAC और NBA द्वारा किया जाता है, अतार्किक और अवैज्ञानिक होगा। शिक्षण और अनुसंधान सहित कई मानदंडों पर सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों की वृद्धि का मार्ग इन संस्थानों के वित्तपोषण में वृद्धि की मात्रा पर निर्भर करेगा। सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों में शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की रिक्तियों के कम होने और वित्तपोषण में कमी के साथ, सामान्य मानदंडों पर मान्यता और रैंकिंग केवल इन सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों की छवि खराब करेगी। इसलिये, सभी वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक कारणों से संस्थानों की मान्यता और रैंकिंग की प्रक्रिया को रोक दिया जाना चाहिये।

इसके बजाय, प्रत्येक संस्थान के विकास का मूल्यांकन उसके अपने उद्देश्यों के आधार पर प्रत्येक संस्थान के लिये अलग-अलग मीट्रिक विकसित करके किया जायेगा, जिसके लिये उसे स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय लोकतांत्रिक तरीके से विभिन्न विभागों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिये एक आंतरिक निकाय बनायेगा। यदि यह पाया जाता है कि यह अपने उद्देश्यों

के संबंध में कम प्रदर्शन कर रहा है तो कम प्रदर्शन के कारणों का निष्पक्ष और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जायेगा और पर्याप्त धनराशि की मंजूरी सहित सभी उपचारात्मक उपाय तुरंत किए जायेगें।

7.11 उच्च शिक्षा में समावेशिता और समानता

सरकार उच्च शिक्षा में समानता सुनिश्चित करने के लिये सभी सार्वजनिक वित्त पोषित सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को कुल वित्तीय सहायता प्रदान करने की पूरी जिम्मेदारी लेगी। सार्वजनिक वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में स्व-वित्तपोषण की अनुमति नहीं दी जायेगी, क्योंकि यह शिक्षा में समावेशिता की अवधारणा के खिलाफ है और सभी को समान अवसर से वंचित करता है। यदि उच्च शिक्षा में कोई निजी भागीदारी है तो सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शुल्क गरीब छात्रों की पहुंच में हो। शुल्क संरचना ऐसी नहीं होनी चाहिये कि यह गरीब और मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित करें।

7.12 यूजी/पीजी डिग्री कार्यक्रमों की अवधि

डिग्री कार्यक्रमों की अवधि प्रत्येक विषय में अलग-अलग होती है। कला और विज्ञान संकार्यो में स्नातक डिग्री कार्यक्रमों की अवधि तीन वर्ष होगी, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री चार वर्ष की होगी, विधि और वास्तुकला में स्नातक डिग्री पांच वर्ष की अवधि की होगी, चिकित्सा की अवधि चार वर्ष और छह महीने होगी, जिसमें व्यावहारिक इंटर्नशिप के लिये एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि होगी। पशु चिकित्सा कार्यक्रम के लिये यह चार वर्ष और छह महीने की व्यावहारिक इंटर्नशिप है। कृषि, बागवानी, वानिकी आदि जैसे अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिये, संबंधित विनियामक शैक्षणिक निकायों के विचारों को ध्यान में रखा जायेगा। डिग्री के अलावा, विश्वविद्यालय और कॉलेज अलग से डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम प्रदान कर सकते हैं।

स्नातक डिग्री कार्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों को इसे निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम अवधि के भीतर पूरा करना होगा। एनईपी 2020 की प्रवेश और निकास प्रणाली, जिसमें विभिन्न डिग्री प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री और सम्मान आदि का प्रस्ताव है अराजक है और ज्ञान की समग्र खोज के लिये हानिकारक है। इससे ड्रॉपआउट भी होते हैं और ड्रॉपआउट बेरोजगार हो जाते हैं।

इसी तरह, सभी स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम अध्ययन के विभिन्न विषयों में दो साल के होंगे, सिवाय चिकित्सा के जो तीन साल की अवधि का है।

कला और विज्ञान संकार्यों में एम.फिल या पीएचडी करने के लिये, संबंधित या संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर डिग्री होना अनिवार्य है।

7.13 यूजी और पीजी डिग्री कार्यक्रमों के लिये प्रवेश नीति

यूजी और पीजी डिग्री कार्यक्रमों के लिये प्रवेश नीति विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा संस्थान यूजी और पीजी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये अपनी स्वयं की प्रवेश नीति तय करेंगे। एनईईटी, जेईई, सीयूईटी आदि जैसे केंद्रीकृत परीक्षणों के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। राज्य विश्वविद्यालय या राज्यों के भीतर के कॉलेज स्थानीय छात्रों को वरीयता दे सकते हैं। लेकिन उन्हें अन्य विश्वविद्यालयों और राज्यों के छात्रों के लिये 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी चाहिये। यह व्यवस्था स्थानीय आकांक्षाओं को एकीकरण और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता के साथ संतुलित करेगी।

7.14 उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय छात्र विनिमय कार्यक्रम

विश्वविद्यालय छात्र विनिमय कार्यक्रमों के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। यह उचित शिक्षण समझौतों

के साथ विदेश में एक सेमेस्टर के कार्यक्रम के लिये हो सकता है। ऐसे समझौतों के तहत, संबंधित संस्थानों के शैक्षाणिक निकायों की मंजूरी के साथ केस–टू–केस आधार पर क्रेडिट के हस्तांतरण की संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है। हालांकि, ऐसे छात्र विनिमय कार्यक्रमों को केवल छात्रवृत्ति/वित्त पोषित कार्यक्रमों के आधार पर मंजूरी दी जायेगी।

विदेशी संस्थान जो केवल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये अपने विदेशी परिसर स्थापित करने का इरादा रखते हैं, उन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। इसी तरह, पीईपी केवल वाणिज्यिक लाभ के लिये भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच संयुक्त डिग्री कार्यक्रमों का विरोध करती है।

7.15 विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और निर्णय लेने वाले निकाय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालय क्रमशः संसद के अधिनियमों और राज्य विधान निकायों के अधिनियमों द्वारा गठित किये जायेंगे। विश्वविद्यालयों के अधिनियम, कानून और अध्यादेश विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों, समितियों और आधिकारिक पदाधिकारियों की संरचना और कार्यों को परिभाषित करेंगे। यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय से जुड़े सभी लोग विश्वविद्यालय के अधिनियमों, कानूनों और अध्यादेशों का सम्मान करें और उनका पालन करें। सर्वोच्च शैक्षणिक, प्रशासनिक ओर अर्ध–न्यायिक निकायों को विभिन्न राज्यों और विश्वविद्यालयों में अलग–अलग नाम से जाना जाता है। देश की विविधता को देखते हुए, सभी विश्वविद्यालयों के लिये केवल एक तरह की संरचना का प्रस्ताव करना आवश्यक नहीं है। जरूरत है निकायों और पदाधिकारियों के प्रभावी कामकाज की।

यह देखा गया है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न निकाय और पदाधिकारी सत्तावादी प्रवृत्तियों, भ्रष्टाचार, अकुशलता या बाहरी हस्तक्षेप के कारण निष्क्रिय हो जाते हैं। विश्वविद्यालयों और उच्च

शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता की रक्षा करना आवश्यक है।

कुलपति को अच्छी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और उच्च निष्ठा और निष्ठा एवं चरित्र वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिये। कुलपति प्रोफेसर के रूप में कम से कम दस साल का अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित शिक्षाविद होने चाहियें और उन्हें विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रशासनिक अनुभव होना चाहिये। कुलपतियों की नियुक्ति पूरी तरह से योग्यता के आधार पर की जानी चाहिये, न कि किसी राजनीतिक दल या विचारधारा से संबद्धता के आधार पर।

विश्वविद्यालयों में निर्णय लेने वाले निकायों को लोकतांत्रिक बनाने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों में नीति–निर्माण और प्रशासनिक निकाय जैसे कि अकादमिक परिषद, कार्यकारी परिषद, सीनेट, सिंडिकेट, स्कूल बोर्ड, प्रवेश समिति, परीक्षा समितियां आदि में विश्वविद्यालय के शिक्षकों, छात्रों और गैर–शिक्षण कर्मचारियों के प्रतिनिधि होने चाहिये।

भाग– VI

शोध कार्यक्रम

स्नातकोत्तर या परास्नातक पाठ्यक्रमों में छात्रों को विषय सीखने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये तथा उन पर शोध का बोझ नहीं डाला जाना चाहिये। जिन छात्रों ने परास्नातक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है तथा उनमें शोध की योग्यता है, वे उस विषय या उससे संबंधित विषयों में शोध कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों को एम.फिल. या पी.एच.डी. या दोनों के अवसर प्रदान करने चाहिये।

8.1 एम.फिल

सभी विश्वविद्यालयों द्वारा यथा संभव अधिक से अधिक विषयों में एम. फिल. डिग्री कार्यक्रम की पेशकश की जानी चाहिये। इससे छात्रों में शोध की योग्यता पैदा होगी तथा इससे उम्मीदवारों को पी.एच.डी. कार्यक्रम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

एम. फिल. छात्र जो पी.एच.डी. कार्यक्रम जारी रखना चाहते हैं उन्हें पहले से कवर किए गए पाठ्यक्रम को दोहराने से छूट दी जायेगी। शोध योजनाओं की संख्या पात्र छात्रों तथा इच्छुक मार्ग दर्शकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी तथा बढ़ाई जाएगी।

8.2 डॉक्टरेट अनुसंधान

जिन्होंने एम.फिल. की डिग्री पूरी कर ली है या जिन्होंने यूजीसी नेट या सीएसआईआर जैसी अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाओं के लिये अर्हता प्राप्त कर ली है वे इस विषय में या

संबद्ध क्षेत्रों में डॉक्टरेट अनुसंधान कर सकते हैं।

8.3 अनुसंधान के क्षेत्र

प्राकृतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और सामाजिक विज्ञान की सभी शाखाओं में, बुनियादी अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जायेगा और उनके लिये सुविधाओं को बढ़ावा जायेगा।

इच्छुक विभागों, शिक्षकों और छात्रों द्वारा व्यावहारिक अनुसंधान भी किए जा सकते हैं, और उन्हें पर्याप्त धन भी उपलब्ध कराया जायेगा।

8.4 अनुसंधान के नियम

प्रवेश के लिये आवश्यक योग्यताएं, सीटों की संख्या, अनुसंधान के क्षेत्र और एम.फिल. और पीएचडी स्तर पर अनुसंधान की निगरानी का तरीका विश्वविद्यालय अध्यादेश और विनियमों के अनुसार तय और निष्पादित किया जायेगा। सरकारी एजेंसियां जैसे यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएआर, आईसीएमआर, डीएई, डीएसटी, डीटीई, आईसीएसएसआर, आईसीएचआर, आदि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान को वित्तपोषित करती रहेंगी। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के औद्योगिक उद्यम भी विश्वविद्यालय के माध्यम से अनुसंधान को वित्तपोषित कर सकते हैं। अनुसंधान परिणामों के अधिकार विश्वविद्यालय के पास रहेंगे। किसी निर्दिष्ट अनुसंधान के लिये विशिष्ट आधार किसी भी संबंधित प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त रूप से स्थापित किया जा सकता है।

8.5 वित्त और नियंत्रण

शोध कार्यक्रमों के लिये भर्ती किए गए प्रत्येक विद्वान को अनुसंधान की निर्दिष्ट अवधि के लिये फेलोशिप या वजीफा मिलना चाहिये। अनुसंधान का विषय अनुसंधान मार्गदर्शक और विभाग के परामर्श से तय किया जायेगा। प्रस्ताव स्वीकृत होने

के बाद, विद्वानों को स्वतंत्र वातावरण में अनुसंधान करने की अनुमति दी जानी चाहिये। अनुसंधान क्षेत्र और अनुसंधान विषय सरकार या किसी भी वित्त पोषण एजेंसी द्वारा तय नहीं किए जाएंगे।

8.6 नैतिक मानक

सभी विद्वान और अनुसंधान पर्यवेक्षक विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित नैतिक मानकों का पालन किया जाएगा। जो लोग अनुचित साधनों का उपयोग करेंगे उन्हें उचित रूप से दंडित किया जायेगा।

8.7 विद्वानों के लिये शिक्षण कार्य

फेलोशिप प्राप्त करने वाले विद्वानों को यूजी या पीजी पाठ्यक्रमों के कुछ हिस्सों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती हैं, ताकि उन्हें अनुसंधान पूरा होने के बाद शिक्षक की नौकरी के लिये तैयार किया जा सके।

भाग–VII

व्यावसायिक शिक्षा

9.1 व्यावसायिक डिग्री कार्यक्रमों में उच्च शिक्षा में चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून, कृषि और प्रबंधन आदि क्षेत्र शामिल हैं।

9.2 चिकित्सा की विभिन्न प्रणालियों का वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन किया जायेगा। जबकि प्रत्येक प्रणाली में पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अलग–अलग संस्थानों के माध्यम से अलग–अलग तैयार किए जायेंगे और पढ़ाए जायेंगे, सूचना विनिमय, अनुसंधान सहयोग, सामान्य उदाहरणात्मक केस स्टडी के लिये सामान्य और साथ ही विशिष्ट स्तरों पर कुछ मंच पारस्परिक सुविधा के लिये बनाए जायेंगे। विभिन्न स्वदेशी चिकित्सीय प्रणालियों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जायेगा ताकि उन्हें केवल अनुभवजन्य स्तर से वस्तुनिष्ठ सैद्धांतिक स्तर तक उठाया जा सके।

9.3 चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, कानून, कृषि, शिक्षा और प्रबंधन आदि के पाठ्यक्रमों को समय–समय पर नवीनतम किया जाना चाहिये और शिक्षण के तरीकों को नियमित रूप से आधुनिक बनाया जाना चाहिये। चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नई शाखाएं उनके विकास के आवधिक मूल्यांकन के आधार पर खोली जायेंगी। कानून, शिक्षा आदि में नई विशेषज्ञताएं प्रत्येक मामले/अध्ययन के क्षेत्रों में नए विकास को ध्यान में रखते हुए शुरू की जाएंगी। शिक्षा के पाठ्यक्रमों में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिये शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम शामिल होंगे। सभी विषयों में शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों की समय–समय पर तेजी से विकसित हो रही शैक्षणिक पद्धतियों के

आलोक में समीक्षा की जायेगी, जिसका उद्देश्य जब भी आवश्यक हो परिवर्तन करना है।

9.4 सभी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्ध कराए जाने वाले बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सर्वोत्तम मानक तक पहुंचने के लिये सरकार द्वारा समर्थित होना चाहिये।

9.5 व्यावसायिक शिक्षा में उनके डिग्री पाठ्यक्रमों में मानवीयता के पाठ्यक्रम शामिल होने चाहिये।

9.6 व्यावसायिक कार्यक्रम प्रदान करने वाले डिग्री स्तर के कॉलेज अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालयों से संबद्ध होंगे और अन्य सामान्य कॉलेजों के समान विश्वविद्यालयों के नियमों और विनियमों से बंधे होंगे।

9.7 केंद्र और राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कानून बनाएगी कि सभी व्यावसायिक कॉलेजों में प्रवेश बिना किसी प्रबंधन कोटा और एनआरआई कोटा के योग्यता के अनुसार हो। हालांकि, संविधान/कानून द्वारा गारंटीकृत कोटा मौजूद रहेंगे। कैपिटेशन शुल्क ओर दान के संग्रह जैसी प्रथाओं को समाप्त कर दिया जायेगा।

9.8 इंजीनियरिंग शिक्षा

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है और साथ ही ज्ञान भी प्रकृति में अधिक से अधिक अंत विषयक होता जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), क्वांटम कंप्यूटिंग, बायो–इंजीनियरिंग, साइबर भौतिक प्रणाली ओर विज्ञान की अन्य सभी मौलिक शाखाओं जैसे क्षेत्रों में विकास इंजीनियरिंग शिक्षा के सभी क्षेत्रों में इस ज्ञान को शामिल करने की मांग करता है।

पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के अध्ययन से संबंधित विषयों में

आलोचनात्मक सोच प्रदान करने तथा छात्रों में विभिन्न इंजीनियरिंग समस्याओं के अभिनव समाधान प्रदान करने के लिये स्वतंत्र रूप से दिमाग लगाने की क्षमता विकसित करने के लिये डिजाइन किया जायेगा। इस क्षमता को विकसित करने के लिये छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं से डिजाइन कौशल प्रदान किया जाना चाहिये और तदनुसार इंजीनियरिंग शिक्षा के शिक्षाशास्त्र को डिजाइन किया जाना चाहिये। शिक्षाशास्त्र एवं शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को विभिन्न वास्तविक दुनिया की समस्याओं के अभ्यास के लिये फिर से तैयार किया जाना चाहिये और विभिन्न इंजीनियरिंग समस्याओं के समाधान की तलाश करने के लिये व्यावहारिक ज्ञान और स्वतंत्र दृष्टिकोण प्राप्त करना चाहिये।

9.9 चिकित्सा शिक्षा

पूरे देश में पर्याप्त संख्या में मेडिकल कॉलेज खोले जाना चाहिये, जिनमें पर्याप्त बुनियादी ढांचा हो और सभी चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अस्पताल भी इसके साथ जुड़े हुए हो। देश के लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टरों का अनुपात उत्तरोत्तर बढ़ाया जाना चाहिये, जब तक कि देश में ऐसी स्थिति विकसित न हो जाये जहां किसी भी नागरिक को किसी भी बहाने से योग्य डॉक्टर द्वारा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपचार से वंचित न किया जाये। डॉक्टरों सहित कर्मचारियों का आकस्मिककरण और संविदाकरण जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में चलन है उसे भी रोका जायेगा और पर्याप्त संख्या में स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी। मेडिकल छात्रों को देश में लोगों की मौजूदा स्थितियों को समझने की जरूरत है। चिकित्सा नैतिकता की अवधारणा को उचित महत्व के साथ चिकित्सा शिक्षा में पढ़ाया और अभ्यास कराया जाना चाहिये। सभी प्रमुख विषयों में अनुभवी डॉक्टरों की प्रत्यक्ष देखरेख में एक साल का रोटेशनल प्रशिक्षण अभ्यास करने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने की शर्त

होगी। स्नातक कार्यक्रम पूरा करने के बाद सभी छात्रों को उच्च शिक्षा और शोध के लिये पर्याप्त अवसर मिलेंगे।

एक विश्वविद्यालय जो चिकित्सा कार्यक्रमों के विभिन्न विषयों की पेशकश कर रहा है उसे समाज की विभिन्न चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले पर्याप्त बुनियादी ढांचे वाले अस्पतालों से जुड़ा होना चाहिये। पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण के उन्नयन की जरूरतों को पूरा करने और इसके साथ जुड़े अस्पतालों में सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ अस्पतालों के उन्नयन के लिये पर्याप्त धन आवंटित किया जाना चाहिये।

वैकल्पिक चिकित्सा आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) की तरह अध्ययन के एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर रही है। हालांकि, इन व्यवसायों का अभ्यास वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिये। इन विभिन्न विषयों के वैज्ञानिक आधार का अध्ययन करने के लिये पर्याप्त धन आवंटित किया जाना चाहिये। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर एक मजबूत सैद्धांतिक आधार के साथ पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण तैयार किए जाएंगे। चिकित्सा की आयुष शाखा को आधुनिक चिकित्सा के साथ अंधाधुंध तरीके से एकीकृत करने के किसी भी प्रयास की अनुमति नहीं दी जायेगी।

देश भर में चिकित्सा शिक्षा के एक समान मानक को बनाए रखने के लिये एक राष्ट्रीय स्तर का मानक निर्धारण निकाय होना चाहिये। राज्य स्तरीय शैक्षणिक निकाय इन मानकों का दिशानिर्देश के रूप में पालन करेंगे। सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए, चिकित्सा कार्यक्रम में प्रवेश या उससे बाहर निकलने के दौरान पूरे देश में एक ही परीक्षा हमारे देश में असंगत है। विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण और परीक्षा प्रणाली पर निर्णय लेने की स्वायत्तता होनी चाहिए।

9.10 पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन (वीएस और एएच) शिक्षा

पशु चिकित्सा विज्ञान जानवरों के शरीर विज्ञान से संबंधित हैं और पशुपालन जानवरों के पालन और भोजन के रूप में पशु उत्पादों के उपभोग से संबंधित है। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में इस क्षेत्र के सभी मुख्य पाठ्यक्रम और अन्य पाठ्यक्रम शामिल किये जाने चाहिये जो पशुओं के पालन–पोषण और पशु उत्पादों के उपभोग से संबंधित प्रासंगिक सामाजिक और नैतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हों। जरूरत के अनुसार, अधिक पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे।

9.11 विधि शिक्षा

चूंकि वर्तमान सामाजिक संदर्भ में विधि के अध्ययन की एक विषय के रूप में व्यापक प्रासंगिकता है इसलिये विधि शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यह नीति अनुशंसा करती है। सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों के कारण समाज में लोगों को विधिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता बढ़ रही है। इसलिये, विधि शिक्षा को इस तरह से पुनः डिजाइन किया जाना चाहिये कि यह समाज में उभर रहे नए मुद्दों का ध्यान रख सके।

*कला, विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद विधि की डिग्री तीन वर्ष की अवधि की एलएलबी होगी या उच्चतर माध्यमिकक (प्लस टू) उत्तीर्ण करने के बाद विधि मे एकीकृत पांच वर्षीय डिग्री होगी।

*वर्तमान विधि शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण में राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, गणित और विधि प्रणाली से संबंधित प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को शामिल करने वाले पाठ्यक्रम भी शामिल होने चाहिये।

*इसके अलावा, शिक्षण पद्धति को तदनुसार उपयुक्त रूप से

बदला जाना चाहिये। शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण में जिन परिवर्तनों को अपनाने की आवश्यकता है उनके लिये विधि शिक्षा के शिक्षकों को भी तदनुसार प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

*सामाजिक और सांस्कृति कारकों के अलावा, प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के कारण समाज में अपराध बढ़ रहे हैं और इस घटना को कानूनी शिक्षा के पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण के भीतर शामिल किया जाना चाहिये।

*कानूनी शिक्षा प्रणाली में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों और अनुसंधान को कानून शिक्षा में शिक्षण कैरियर को आगे बढ़ाने के लिये पर्याप्त सुविधाएं और उचित पारिश्रमिक प्रदान करके मजबूत किया जाना चाहिये।

कानूनी शिक्षा प्रणाली के पूर्ण पुनरुद्धार और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिये पर्याप्त धन आवंटित किया जाना चाहिये।

9.12 कृषि शिक्षा

हमारे देश में कृषि अभी भी प्रमुख पेशा है, लेकिन इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिये। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ कृषि के लिये संभावनाएं बढ़ रही है। आर्थिक और सामाजिक कारकों के अलावा, पर्यावरण प्रदूषण, कीटनाशकों का उपयोग, पर्याप्त वर्षा की कमी और प्राकृतिक आपदाएं कृषि के लिये बड़ी चुनौतियां हैं। हालांकि किसान एक पेशे के रूप में कृषि करते हैं लेकिन उनके पास इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिये पर्याप्त ज्ञान नहीं है। इसलिये, कृषि शिक्षा पर जोर समाज के लिये सबसे महत्वपूर्ण है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही दुनिया भर में कृषि का आधुनिकीकरण हुआ है।

*छात्रों के व्यावहारिक अनुभव और अभ्यास के लिये पर्याप्त

कृषि भूमि और आधुनिक कृषि पद्धतियों की सुविधाओं के साथ कृषि संस्थान स्थापित किये जाना चाहिए।

*स्थानीय परिस्थितियों में प्रचलित पद्धतियों के साथ–साथ ऐसी आधुनिक कृषि पद्धतियों को पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण में शामिल किया जायेगा।

*कृषि शिक्षा के विकास और शिक्षण–अध्ययन के लिये पर्याप्त धनराशि आवंटित की जायेगी।

*कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में पारंपरिक और आधुनिक कृषि पद्धतियों के साथ–साथ कृषि शिक्षा में विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने वाले आवश्यक पाठ्यक्रम शामिल किए जायेंगे।

भाग–VIII

वयस्क शिक्षा

वयस्क शिक्षा के लिये एक कार्यक्रम को देश में वयस्क निरक्षता के उच्च स्तर द्वारा उत्पन्न चिंताजनक चुनौती को स्वीकार करना चाहिये। इसमें निरक्षरता को संबोधित करने और सभी वयस्कों, विशेष रूप से सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के अधूरे कार्यान्वयन के कारण पीछे छूट गए लोगों के लिये शैक्षणिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिये एक बहुआयामी दृष्टिकोण पर जोर देना चाहिये।

10.1 वयस्क निरक्षरता की चुनौतियां

बढ़ती निरक्षरताः

निरक्षरता को कम करने में एक बड़ी चुनौती हर साल वयस्क निरक्षरों की संख्या में लगातार वृद्धि है। वयस्क निरक्षरों की संख्या में वृद्धि सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को पूरी तरह से लागू करने में विफलता के कारण है, विशेष रूप से 6–14 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच। इस प्रकार नीति का उद्देश्य वयस्क आबादी में निरक्षरों की संख्या में वृद्धि को रोकने के लिये इस आयु वर्ग के बच्चों का सार्वभौमिक स्कूली दाखिला और वे स्कूल में बने रहे लक्ष्य प्राप्त करना है।

10.2 वयस्क शिक्षा केन्द्र

सरकार वयस्कों को शिक्षा प्रदान करने के लिये पूर देश में पर्याप्त संख्या में वयस्क शिक्षा केन्द्र स्थापित करेगी, जो अपने शुरुआती वर्षो में शिक्षा से वंचित रह गए हैं। सरकार उन्हें इन केन्द्रों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करेगी, जो शिक्षा देने के लिये आवश्यक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित होंगे।

10.3 वयस्क शिक्षा को लागू करना

वयस्क कर्मचारियों के लिये सेवाकालीन तकनीकी साक्षरताः

संगठित क्षेत्र में वयस्क कर्मचारियों के लिये तकनीकी साक्षरता का एक कार्यक्रम प्रदान किया जायेगा। यह कार्यक्रम बुनियादी प्राथमिक शिक्षा को उनके विशिष्ट ट्रेडों या व्यवसायों से संबंधित तकनीकी ज्ञान के साथ जोड़ेगा यह सुनिश्चित करते हुए कि वे साक्षरता के स्तर में सुधार करते हुए आवश्यक कौशल प्राप्त करें।

असंगठित क्षेत्र के लिये पहुंचः

कृषि जैसे असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले वयस्कों को भी बुनियादी शिक्षा के लिये लक्षित किया जायेगा। उनके इलाकों में वयस्क शिक्षा केन्द्र सीखने के अवसरों तक पहुंच प्रदान करेंगे। इसके अलावा, रेडियो, टेलीविजन और प्रिंट मीडिया जैसे मास मीडिया आउटलेट इस श्रेणी की आबादी तक शैक्षिक सामग्री पहुंचाने के लिये महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करेंगे।

10.4 मास मीडिया की भूमिका

मास मीडिया की भागीदारीः

वयस्क शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये रेडियो, टेलीविजन, प्रेस और विभिन्न सोशल मीडिरूा प्लेटफॉर्म को स्थान और समय आवंटित करने की आवश्यकता होगी। देश भर में विभिन्न भाषाओं में शैक्षिक सामग्री वितरित की जाएगी, जिससे विविध दर्शकों तक पहुंच और पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी।

10.5 नियोजित शैक्षिक सामग्री

अनुकूलित पाठ्यक्रमः

वयस्क शिक्षा की सामग्री वयस्क आबादी की अलग–अलग

जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की जाएगी, जिसमें उम्र, व्यवसाय ओर मनोविज्ञान जैसे कारकों को ध्यान में रखा जायेगा। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि सीखने की सामग्री वयस्कों के लिये प्रासंगिक और आकर्षक हो, जिससे सफल साक्षरता परिणामों की संभावना बढ़ जाती है।

भाग–IX

अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा

छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रक्रिया के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। हालांकि, गैर–औपचारिक और दूरस्थ शिक्षा पारंपरिक औपचारिक शिक्षा के दायरे से बाहर व्यक्तियों की विविध तरह से सीखने की जरूरतों को संबोधित करने के लिये डिजाइन किए गए शैक्षणिक ढांचे का एक हिस्सा है। जैसे–जैसे राष्ट्र साक्षरता और औपचारिक शिक्षा में सुधार की दिशा में आगे बढ़ाता है वैसे–वैसेइन वैकल्पिक शैक्षिक चैनलों को उन लोगों की सेवा करने के लिये विकसित करना होगा जो औपचारिक शिक्षा तक पहुंचने में असमर्थ हैं और पहले से ही शिक्षित लोगों के लिये निरंतर सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। हालांकि, संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि गैर–औपचारिक और दूरस्थ शिक्षा के प्रावधानों का दुरुपयोग न हो।

11.1 उद्देश्य और लक्षित लाभार्थी

अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य उन व्यक्तियों तक पहुंचना है जो विभिन्न कारणों से औपचारिक शिक्षा प्रणालियों से जुड़ नहीं सकते हैं। इसमें उन लोगों के लिये आजीवन सीखने के अवसर प्रदान करना शामिल है जो अन्य व्यावसायिक जिम्मेदारियों का प्रबंधन करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहते हैं।

11.2 संस्थागत ढांचा

गैर–औपचारिक और दूरस्थ शिक्षा पहलों की प्रभावी योजना,

डिजाइन और समन्वय सुनिश्चित करने के लिये, प्रत्येक राज्य में एक वैधानिक निकाय स्थापित किया जायेगा। यह निकाय इन शैक्षिक प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे देश के व्यापक शैक्षिक लक्ष्यों के साथ रेखांकित हों।

11.3 सीखने में लचीलापन

स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों सहित शैक्षिक संस्थानों को सभी उम्र के शिक्षार्थियों को कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे एक समावेशी और सीखने का लचीला माहौल तैयार होगा जो विविध सीखने के रास्तों को समायोजित करेगा।

11.4 पत्राचार पाठ्यक्रमों की परिभाषा

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले पत्राचार पाठ्यक्रमों को गैर-औपचारिक या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के बजाय औपचारिक शिक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा। यह अंतर विभिन्न शैक्षिक पेशकेशों की प्रकृति और संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेगा।

11.5 सामुदायिक भागीदारी

क्लब, पुस्तकालय और सांस्कृतिक संगठन जैसे सामुदायिक संसाधन गैर-औपचारिक शिक्षा को सुविधाजनक बनाने में सहायक होंगे। इन संस्थाओं को अपने सदस्यों और आसपास के समुदाय की रुचियों और आवश्यकताओं के आधार पर शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करने के लिये प्रोत्साहित और समर्थित किया जायेगा।

भाग–X

शिक्षक शिक्षा

12.1 परिचय

शिक्षक शिक्षा किसी राष्ट्र के शैक्षणिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है। शिक्षक ज्ञान प्रदान करने और भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने में एक मौलिक भूमिका निभाते हैं। जिससे उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण और स्थिति राष्ट्र के विकास के लिये महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिये एक प्रभावी शिक्षक ज्ञानवान और जिम्मेदार शिक्षकों को तैयार करने के लिये आवश्यक है जो उन्हें सौंपी गई कई भूमिकाओं का निर्वहन करने में सक्षम हों।

12.2 शिक्षक शिक्षा का महत्व

शिक्षक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को प्रभावी शिक्षक बनने के लिये तैयार करना, प्रशिक्षित करना और विकसित करना है। यह शिक्षकों को छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिये आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करने के लिये आवश्यक पेशेवर प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। शिक्षक शिक्षा शिक्षकों को शिक्षण विधियों से परिचित कराती है उनके विषय ज्ञान को बढ़ाती है और उन्हें सिखाती है कि कक्षाओं का प्रबंधन कैसे करें, छात्रों के प्रदर्शन का आकलन कैसे करें और छात्रों की विविध आवश्यकताओं को कैसे संबोधित करें। शिक्षक शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षक बनना और शिक्षक बनने के बाद भी यह आवश्यक है।

12.3 शिक्षक शिक्षा में चुनौतियां

भारत में जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं उनसे अपेक्षा की

जाती है कि वे विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले बी.एड. और एम.एड. जैसे अनिवार्य डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करें। यह पाया गया है कि देश में अधिकांश शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान शिक्षक शिक्षा की खराब गुणवत्ता प्रदान करते हैं। वे पुराने पाठ्यक्रम और सिलेब्स, अपर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाओं, योग्य शिक्षकों की कमी और उभरती प्रौद्योगिकियों के सीमित ज्ञान से पीड़ित हैं। अधिकांश शिक्षक शिक्षा संस्थान व्यावसायिक उद्यम और व्यापारिक प्रवृत्ति के हैं और छात्रों की विविधता से निपटने में अक्षम पाए जाते हैं। हालांकि शिक्षक शिक्षा में आवश्यक डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिये लेकिन स्कूलों में भर्ती होने वाले कई लोग, खासकर निजी स्कूलों में, आवश्यक प्रशिक्षण नहीं रखते हैं। एनईपी 2020 में मात्र छह महीने का प्रशिक्षण देने के बाद मात्र कक्षा 10 पास योग्यता रखने वाली आशा कार्यकर्ताओं को भी प्री-स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्त करने की बात कही गई है। एनईपी 2020 में स्टैंड-आलोन बी.एड. कॉलेजों और FY-ITEP जैसे सभी पाठ्यक्रमों को समाप्त करने की भी बात कही गई है। इसमें आगे प्रस्ताव दिया गया है कि एक वर्षीय बी.एड. और दो वर्षीय बी.एड. आदि बहुविषयक संस्थानों द्वारा प्रदान किए जायेगें।

सभी शिक्षकों को विषय और शिक्षण विधियों के अपने ज्ञान को अपडेट करने के लिये आवश्यक इन-सर्विस प्रशिक्षण नहीं मिलता है। शिक्षक शिक्षा में कमियों को सुधारने के नाम पर NEP 2020 ने चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP) शुरू किया। सभी पारंपरिक शिक्षण विधियों को अप्रभावी मानते हुए, NEP रचनात्मक शिक्षाशास्त्र की शुरुआत की मांग करती है, जिसमें बाल-केंद्रित अनुभवात्मक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जहां शिक्षक केवल एक मददगार के रूप में कार्य करता है। भारत जैसे विशाल देश में, जहां प्रत्येक कक्षा में अलग-अलग क्षमता के 50 से अधिक छात्र होंगे, सरकार

द्वारा वकालत किए जा रहे नये शिक्षा शास्त्र की विफलता की पूरी संभावना है।

12.4 केवल प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती करें

PEP जोर देती है कि शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के पास प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता और शिक्षक शिक्षा में उपयुक्त डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिये। इसके लिये, पीईपी ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने के लिये पर्याप्त संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान खोलने चाहिये। शिक्षकों की भर्ती पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद की जानी चाहिये और सभी स्तरों पर शिक्षकों को सरकार द्वारा अनुशंसित वेतनमान के साथ स्थायी आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिये।

12.5 इन-हाउस प्रशिक्षण

सेवा में पहले से मौजूद सभी शिक्षकों को नियमित अंतराल पर इन-हाउस प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये ताकि वे विषय और शिक्षण पद्धतियों और कौशल के बारे में अपने ज्ञान को अपडेट कर सकें।

12.6 विभिन्न शिक्षण पद्धतियों से परिचित होना

भारत जैसे विशाल और जटिल देश में जहां बच्चे अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आते है, वहां केवल एक ही शिक्षण पद्धति पर जोर देना कोई मायने नहीं रखता। भारत में शिक्षकों को केवल सुविधा प्रदाता से अधिक होना चाहिये। किस प्रकार की शिक्षण पद्धति प्रासंगिक है यह इस बात पर निर्भर करता है कि कक्षा में उन्हें किस प्रकार के छात्रों का सामना करना पड़ता है। इसलिये, शिक्षक शिक्षा द्वारा शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों से परिचित कराना चाहिये, ताकि शिक्षक/विद्यालय यह तय कर सकें कि छात्रों के लिये किस

प्रकार की शिक्षण पद्धति उपयुक्त है।

पीईपी अनुशंसा करती है किः

*शिक्षण पद्धति तैयार करते समय मानव मस्तिष्क की संज्ञानात्मक संरचना को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

*शिक्षण को प्रभावी और सार्थक बनाने के लिये, शिक्षकों को विद्यार्थियों को उनकी परिस्थितिजन्य और सांस्कृतिक संदर्भों में समझना और उनका सही मूल्यांकन करना चाहिये।

*जहां तक संभव हो, मातृभाषा का उपयोग शिक्षण के लिये किया जाना चाहिये।

*शिक्षण विधियों में जिटिल विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और सरल निर्देशों के एक सेट में अनुवाद करने के लिये स्थान और गुंजाइश होनी चाहिये, जिन्हें विद्यार्थी आसानी से समझ सकें।

*सही शिक्षण पद्धति का उचित अनुप्रयोग करके विद्यार्थियों को अपनी कार्यशील स्मृति को अपनी दीर्घकालिक संज्ञानात्क स्मृति से आसानी से जोड़ने में सक्षम बनाया जाना चाहिये।

*शिक्षण विधियों को विद्यार्थियों की प्रेरक, निगमनात्मक और आलोचनात्मक तर्क क्षमता आगमन और निगमन को प्रज्वलित करना चाहिये।

12.8 धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण

हम धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक शिक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, यदि शिक्षक अपने विश्वासों में वास्तव में धर्मनिरपेक्ष और तर्कसंगत हों। शिक्षक शिक्षा से उन्हें अंधविश्वासों और सामाजिक पूर्वाग्रहों से उबरने और वैज्ञानिक सोच विकसित करने में सक्षम होना चाहिये। उन्हें छात्रों के बीच एक धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक मानसिकता को बढ़ावा देने के लिये प्रशिक्षित किया जाना चाहिये। यह दृष्टिकोण छात्रों को आलोचनात्मक सोच और दुनिया

की व्यापक समझ विकसित करने में मदद करने के लिये महत्वपूर्ण है।

12.9 सामान्य रूप से छात्रों और विशेष रूप से वंचित वर्गों से आने वाले लोगों के लिये सहानुभूतिः

अपने विषय ज्ञान को अपडेट करने के आलावा शिक्षक शिक्षा छात्रों के लिये प्यार ओर स्नेह जैसे आवश्यक मानवीय मूल्यों को भी बढ़ावा देगी और छात्रों की समस्याओं को समझने के लिये उनके साथ धैर्य रखने की आवश्यकता को भी बढ़ावा देगी। छात्रों का एक बड़ा हिस्सा गरीब और वंचित समुदायों से आता है जिन्हें शिक्षा का बहुत कम अनुभव है। शिक्षकों को छात्रों के इन वर्गों के साथ साहनुभूति रखनी चाहिये और छात्राओं और वंचित समुदायों से आने वाले छात्रों को सशक्त बनाने पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिये।

भाग XI

लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली, स्वायत्तता और शासन

शैक्षणिक स्वायत्तता का तात्पर्य है कि सरकार शिक्षा की पूरी वित्तीय जिम्मेदारी लेती है और विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा संस्थानों के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकायों द्वारा स्वायत्त कार्यप्रणाली और शासन की अनुमति देती है।

13.1 स्वायत्तता और शैक्षणिक स्वतंत्रता

विश्वविद्यालय शिक्षा के केन्द्र के रूप में विकसित हुए हैं, जहां समाज द्वारा कठिन मानवीय श्रम के माध्यम से सदियों से अर्जित ज्ञान, सिद्धांत और व्यवहार दोनों में, विभिन्न चुने हुए विषयों के क्षेत्रों में समाज को प्रेषित किया जाता है। विश्वविद्यालय विद्वानों को पैदा करते हैं, जो अपने चुने हुए विषयों के विशेषज्ञ होते हैं। ऐसे विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालय शैक्षणिक प्रक्रिया से लाभान्वित होते हैं, जहां पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, परीक्षा और मूल्यांकन और पढ़ने-पढ़ाने की प्रक्रिया सभी निरंतरता में विकसित होते हैं और अपने-अपने अध्ययन के विषयों में विख्यात शिक्षाविदों, विद्वानों, शिक्षकों और छात्रों द्वारा संबंधित अध्ययन बोर्ड, अकादमिक परिषद की बैठकों में सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श और बातचीत के माध्यम से समृद्ध होते हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय किसी दिए गए सामाजिक परिवेश में अपने स्वयं के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिये स्थापित किया जाता है और इसलिये उसे पूर्ण स्वायत्तता के साथ एक विकेंद्रीकृत प्रणाली में कार्य करना होता है और इसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता के साथ मजबूत

करने की आवश्यकता होती है। यह विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिये है जिससे समाज के आगे के विकास के लिये ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सके। विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करने से संबद्ध विश्वविद्यालय प्रणाली को फलने-फूलने में मदद मिलती है।

ऐतिहासिक रूप से, शैक्षिक स्वायत्तता की अवधारणा इस तथ्य में निहित है कि शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षकों, छात्रों और अन्य हितधारकों से युक्त निर्वाचित निकायों द्वारा शासित किया जाना चाहिये। ये निकाय बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों मूल्यांकन विधियों और प्रवेश नीतियों जैसे मुख्य शैक्षिक मामलों को तय करने के लिये जिम्मेदार होंगे। यह दृष्टिकोण शैक्षणिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है एक धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करता है और राजनीतिक या कॉरपोरेट संस्थाओं एवं सरकारी हस्तक्षेप के अनुचित प्रभाव से बचाता है।

13.2 वित्तीय स्वायत्तता

शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता में वित्तीय स्वायत्तता शामिल है। इसका अर्थ है कि विश्वविद्यालयों को सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि को बिना किसी सरकारी हस्ताक्षेप के वितरित करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13.3 लोकतांत्रिक शासन

प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक, शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार संबंधित स्तरों के लोकतांत्रिक रूप से गठित शैक्षणिक और स्वशासी निकायों पर निर्भर करेगा।

इसका अर्थ है कि प्रत्येक प्राथमिक पाठ्यक्रम समिति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय निकाय, आईआईटी, आईआईएससी, आईएसआई, आईआईएम

जैसे विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों और केन्द्रीय चिकित्सा और अनुसंधान संस्थानों आदि के स्वशासी निकाय संबंधित समुदायों में से चुने गए सदस्यों से गठित किये जाएंगें।

विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षा संस्थानों के कार्यों की देखरेख के लिये कोई राज्य उच्च शिक्षा परिषद नहीं होगी।

सभी केन्द्रीय और राज्य संस्थानों के शिक्षकों, कर्मचारियों, शोध विद्वानों और छात्रों के लोतांत्रिक तरीकों से निर्वाचित संघों/यूनियनों के गठन के उनके अधिकार सहित लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की जायेगी।

भाग XII

शिक्षा का वित्तपोषण

शिक्षा के लिये सार्वजनिक वित्तपोषण की आवश्यकता

शिक्षा एक मौलिक मानव अधिकार है और सामाजिक तथा आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक है। यह सभ्यतागत प्रक्रिया का केंद्र है जो पारस्परिक सम्मान, गरिमा, समानता और सहिष्णुता के सिद्धांतों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था बनाने में मदद करता है। शिक्षा के लिये सार्वजनिक वित्तपोषण यह सुनिश्चित करता है कि यह अधिकार सभी के लिये सुलभ हो चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। शिक्षा को एक ऐसे माल के रूप में देखना जिसे निजी उपभोग के लिये खरीदा जाना है सामाजिक समानता और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को कमजोर करता है। शिक्षा को बाजार के माल के रूप में देखना हानिकारक हो सकता है।

सामाजिक न्याय और समानता

सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिये शिक्षा का सार्वजनिक वित्तपोषण महत्वपूर्ण है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच किसी व्यक्ति की भुगतान करने की क्षमता पर निर्भर नहीं होनी चाहिये। जब शिक्षा को एक माल के रूप में माना जाता है तो यह एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जहां अमीर लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जबकि हाशिए पर पड़े और वंचित समूह पीछे रह जाते हैं। यह सामाजिक असमानता को बढ़ाता है और गरीबी के चक्र को बनाए रखता है। सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित शिक्षा प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि सामाजिक आर्थिक स्थिति का भेदभाव किए बिना प्रत्येक बच्चे को सीखने और बढ़ने का अवसर मिले।

आर्थिक विकास

शिक्षा मानव पूंजी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो बदले में आर्थिक विकास को गति देती है। जब शिक्षा सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित होती है तो यह व्यापक-आधारित पहुंच की अनुमति देती है जिससे एक जानकार कार्यबल का निर्माण होता है। सार्वजनिक शिक्षा में महत्वपूर्ण निवेश करने वाले देशों को उच्च उत्पादकता और नवाचार सहित दीर्घकालिक आर्थिक लाभ मिलते हैं। दूसरी ओर, शिक्षा का निजीकरण करने से केवल कुछ विशेषधिकार प्राप्त लोगों को ही उन्नत ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जिससे समावेशी आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है।

लोकतंत्र और नागरिक जुड़ाव

लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक जुड़ाव को बनाए रखने के लिये सार्वजनिक शिक्षा आवश्यक है। एक सुशिक्षित आबादी के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने और सरकारों को जवाबदेह ठहराने की अधिक संभावना होती है। जब शिक्षा को माल बना दिया जाता है तो यह उन लोगों के लिये दुर्गम हो जाती है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है जिससे वंचित और अज्ञानी नागरिक बनते हैं। सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित शिक्षा सामाजिक जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक भागीदारी की साझी भावना को बढ़ावा देती है।

निजीकरण के जोखिम

शिक्षा को बिकाऊ माल बनाना लाभ के उद्देश्यों को जन्म देता है जिससे गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है। निजी संस्थान समग्र शिक्षा के बजाय विपणन योग्य कौशल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिससे छात्रों की आलोचनात्मक सोच और नगरिक जागरूकता सीमित हो जाती है। इसके अतिरिक्त निजी शिक्षा की लाभ-संचालित प्रकृति अक्सर लागत में कटौती, शिक्षण

गुणवत्ता और शैक्षिक संसाधनों को कम करने की ओर ले जाती है।

सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित शिक्षा केवल व्यक्तिगत भविष्य में निवेश नहीं है बल्कि सामूहिक प्रगति का आधार है। यह सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिये आवश्यक है। शिक्षा को एक माल के रूप में मानने से इसका व्यापक सामाजिक उद्देश्य कम हो जाता है और असमानता बनी रहती है। ऐसे में सरकारों के लिये शिक्षा के सार्वजनिक वित्त पोषण को प्राथमिकता देना अनिवार्य है ताकि अधिक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण किया जा सके।

बाजार अर्थव्यवस्था द्वारा निर्देशित सभी देशों में आजकल शिक्षा का वित्त पोषण एक जटिल प्रश्न बन गया है। इस बात पर सवाल उठाए जाते हैं कि सरकार शिक्षा के वित्तपोषण की पूरी जिम्मेदारी कैसे उठा सकती है। इस बात पर जोर देने के लिये सुनियोजित अभियान चलाए जा रहे हैं। 1994 के विश्व बैंक के कथन के अनुसार, सरकार को शिक्षा के लिये अधिक वित्तीय जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिये बल्कि इसे निजी एजेंसियों, राष्ट्रीय और विदेशी कॉरपोरेट घरानों के हाथों में छोड़ देना चाहिये।

इस पृष्ठभूमि में, स्वतंत्रता के बाद से हमारे देश में गठित राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा आयोगों ने शिक्षा के लिये केंद्रीय बजट का कम से कम 10 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत आवंटित करने की सिफारिश की है। यह आम मांग रही है कि राज्य बजट का कम से कम 30 प्रतिशत शिक्षा के लिये आवंटित किया जाना चाहिये। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत का उदारीकरण उस समय तक जीएनपी/जीडीपी के अनुपात में शिक्षा पर सार्वजिनक व्यय में वृद्धि की धीमी प्रवृत्ति को रोकने के साथ आया था जो 6 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुंचने

से बहुत पहले था इसके बजाय इसे 4 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखना इस नए संदर्भ में एक चुनौती बन गया। निम्नलिखित आंकड़े स्वतंत्रता से लेकर इस सदी के शुरुआती वर्षो तक की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।

चित्र1: जीएनपी में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय का हिस्सा। (प्रतिशत)

शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय आम तौर पर उसके बाद भी स्थिर रहा है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है। इस तस्वीर में शिक्षा से सीधे तौर पर संबंध रखने वाले विभागों और मंत्रालयों के अलावा केन्द्र और राज्य सरकारों के विभागों और मंत्रालयों द्वारा किए गए शिक्षा संबंधी व्यय को शामिल करना आवश्यक है। जहां तक शिक्षा विभागों द्वारा व्यय का सवाल है तब से इसमें गिरावट का एक स्पष्ट रुझान है जो 2009–10 से 2012–13 की अवधि में प्राप्त थोड़े उच्च स्तरों से है।

21वीं सदी में शिक्षा में सार्वजनिक व्यय में ठहराव का पूरा महत्व तभी समझा जा सकता है जब इसे दाखिलों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ तुलना की जाये – सकल दाखिला अनुपात (जीईआर), विशेष रूप से शिक्षा के उच्च स्तरों पर जो उसी अवधि में हुआ है – जो भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों में शिक्षा के लिये बढ़ती आकांक्षाओं का जवाब देने में नीति की विफलता को दर्शाता है जिससे शिक्षा के बढ़ते निजीकरण के लिये परिस्थितियां पैदा होती हैं। विभिन्न क्षेत्रों के बीच कुल व्यय का ब्यौरा 2019–20 के लिये तालिका 2 में दिखाया गया है जो कि अंतिम वर्ष है जिसके लिये वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हैं।

तालिका 1:2000–01 वे 2021–22 तक सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय

स्रोतः भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा पर बजटीय व्यय

का विश्लेषण 2019–20 से 2021–22 (दिसंबर 2024 में प्रकाशित)

तालिका 2:

क्षेत्रवार (अनुमानित), 2019–20 (वास्तविक) सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय

स्रोत तालिका 1 के समान

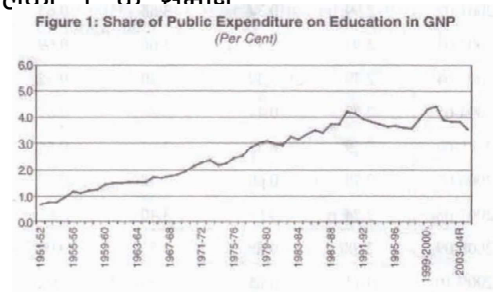

Sector	States/UTs	Centre	Total
1 Elementary Education	1.36	0.39	1.75
2 Secondary Education	0.90	0.10	1.00
3 University & Higher Education	0.37	0.18	0.55
4Adult Education	0.00	0.00	0.00
5Technical education	0.40	0.35	0.75
Total(Education)	**3.03**	**1.01**	**4.04**

Source: Same as Table 1

जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट है, शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय का बड़ा हिस्सा राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। हालांकि भारत के संघीय ढांचे में, राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर राजकोषीय संसाधनों की उपलब्धता की स्थिति मुख्य रूप से केंद्र सरकार के राजकोषीय पहल और प्रयास से निर्धारित होती है। यहां यह ध्यान रखना उचित है कि भारत का कर–जीडीपी अनुपात, जो दुनिया में सबसे कम है, 2007–08 में पहुंचे स्तर को फिर से हासिल करने के लिये संघर्ष कर रहा है। यह केन्द्रीय कर

ही हैं जो इस विफलता के लिये काफी हद तक जिम्मेदार हैं राज्य सरकारों द्वारा स्वयं राजस्च जुटाने से बेहतर तस्वीर सामने आती है। इसके आलावा, भारतीय कर राजस्व (केंद्र और राज्य दोनों) का दो–तिहाई हिस्सा अप्रत्यक्ष करों से आता है जिसका बोझ आबादी के हर वर्ग पर पड़ता है। दूसरे शब्दों में राजकोषीय संसाधनों पर मूलभूत बाधा भारत में उच्च आय समूहों पर प्रत्यक्ष करों का पर्याप्त उपयोग करने में विफलता से आती है जो केन्द्र सरकार के नियंत्रण में हैं। यह रेखांकित करना भी

Table 1: Public Expenditure on Education as Percentage of GDP from 2000-01 to 2021-22

2001-02	2.99	0.37	3.68	0.65
2002-03	2.93	0.39	3.66	0.69
2003-04	2.79	0.39	3.40	0.65
2004-05	2.73	0.44	3.26	0.61
2005-06	2.79	0.53	3.34	0.68
2006-07	2.79	0.60	3.48	0.87
2007-08	2.74	0.58	3.40	0.87
2008-09	2.88	0.65	3.56	0.90
2009-10	3.11	0.65	3.95	1.05
2010-11	3.22	0.72	4.05	1.11
2011-12	3.09	0.69	3.82	0.99
2012-13	3.01	0.66	3.70	0.90
2013-14	2.97	0.64	3.84	1.00
2014-15	2.90	0.55	4.07	1.07
2015-16	2.81	0.49	4.20	1.04
2016-17	2.78	0.47	4.24	1.09

2017-18	2.68	0.47	3.87	0.97
2018-19	2.61	0.41	3.90	0.96
2019-20	2.73	0.43	4.04	1.01
2020-21(RE)	2.95	0.43	4.36	1.04
2021-22(BE)	2.75	0.40	4.12	1.02

महत्वपूर्ण है कि बजट और वास्तविक व्यय के बीच का अंतर 2017 से बढ़ रहा है। इसके विपरीत राज्य बजट उनके नियोजित शिक्षा व्यय से अधिक होने की उम्मीद है। यह बढ़ती असमानता के बावजूद है जिसने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि भारतीय आबादी के शीर्ष 10 प्रतिशत लोगों के पास अब राष्ट्रीय आय का 57 प्रतिशत हिस्सा है। इसलिये यह दावा करने का कोई आधार नहीं है कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय का विस्तार संसाधनों की कमी के कारण है यह बाधा स्वयं लगाई गई है और अंतर्निहित आर्थिक वास्तविकताओं का नहीं हो पा रहा परिणाम नहीं है। इसके बजाय शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि जो एक निवेश की प्रकृति का है जो भारत की बड़ी आबादी की पूरी क्षमताओं को उन्मुक्त करने के आधार पर आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा दे सकता है वही अंतर्निहित आर्थिक वास्तविकताओं की मांग है।

पिछले साल यूजीसी के बजट में 60 प्रतिशत की कटौती की गई थी अनुसंधान का समर्थन करने के लिये गठित राष्ट्रीय अनुसंधान फाडंडेशन (एनआरएफ) के कोष का केवल 40 प्रतिशत ही सरकार से आएगा और बाकी निजी एजेंसियों द्वारा वहन किया जायेगा। परोपकारी संगठनों या पीपीपी मॉडल अकादमिक उद्योग सहयोग और स्व-वित्तपोषण मोड के माध्यम से प्रस्ताविक शिक्षा निजीकरण और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देगी। शिक्षा का निजीकरण, व्यावसायीकरण और निगमीकरण इसके सार्वभौमिकरण के रास्ते में बाधा बनेगा।

इसलिये इस बात पर जोर दिया जाता है कि सरकार को प्री–प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा ओर शोध तक की शिक्षा की पूरी वित्तीय जिम्मेदारी लेनी चाहिय। इससे ही सार्वभौमिक शिक्षा की गारंटी हो सकती है। इसलिये यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है किः

केन्द्रीय बजट का कम से कम 10 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत और राज्य बजट का कम से 20 से 25 प्रतिशत शिक्षा के लिये आवंटित किया जाना चाहिये।

प्री–प्राइमरी स्तर से कक्षा 12 तक शिक्षा निःशुल्क होगी और इस स्तर पर शिक्षार्थियों से किसी भी बहाने से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये शुल्क ऐसा होना चाहिये कि वे एससी, एसटी और ओबीसी सहित लोगों के सबसे गरीब वर्ग के लिये भी वहनीय हो। कोई भी इच्छुक छात्र फीस का भुगतान करने में असमर्थता के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिये। छात्रवृत्ति द्वारा विधिवत समर्थित निःशुल्क छात्रवृत्ति के प्रावधान ताकि छात्रों को परिवार पर निर्भर न रहना पड़े विशेष रूप से वंचित समुदायों गरीबों और महिलाओं के लिये।

मौलिक शोध के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जायेगा।

स्व–वित्तपोषित और पीपीपी मॉडल पाठ्यक्रमों का प्रचलन बंद किया जायेगा।

निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा अत्यधिक फीस न लिये जाने तथा इस संबंध में सरकारी संस्थानों के साथ समानता बनाये रखने के लिये एक सरकारी तंत्र बनाया जायेगा। इन निजी संचालित संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों के लिये 30 प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान किया जायेगा।

भाग XIII
मूल्य शिक्षा

परिचय

मूल्य आधारित शिक्षा छात्रों के नेतिक, नैतिक और बौद्धिक दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मूल्यों को प्रदान करने के नाम पर, किसी को सांप्रदायिक विचारों और रूढ़िवादी प्रथाओं का प्रचार नहीं करना चाहिये जो लोगों के बीच अंध आज्ञाकिरता, शत्रुता और घृणा का प्रचार करते है। इसके विपरीत, पीईपी उन मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करता है जो तर्क, सहिष्णुता सहानुभूति एकता और बंधुत्व के मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। मूल्यों को प्रदान करने के लिये हमारे छात्रों को भारतीय पुनर्जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन के समाज सुधारकों, विचारकों और महान व्यक्तित्वों के जीवन संघर्ष और योगदान से परिचित कराना आवश्यक है।

मूल्य आधारित शिक्षा के प्रमुख पहलू

लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यः

मूल्य आधारित शिक्षा का ध्यान लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को प्रदान करना होना चाहिये।

मूल्य आधारित शिक्षा को छात्रों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के महत्त्व की सराहना करने के लिये मार्गदर्शन करना चाहिये। इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानविकी और जांच की भावना के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिये जो संविधान के अनुच्छेद 51ए (एच) में निहित है।

छात्रों को यह मूल्य प्रदान करने में सक्षम होने के लिये यह

महत्वपूर्ण है कि शिक्षक स्वयं इन सिद्धांतों को आत्मसात करें।

प्रख्यात भारतीयों और विश्व हस्तियों की जीवनीः

मूल्य आधारित शिक्षा दुनिया भर और भारत के महान हस्तियों के जीवन और योगदान को उजागर करेगी, जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कायम रखा, शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाया और जाति पंथ या धर्म के बावजूद इसे सभी के लिये सुलभ बनाया।

मूल्य आधारित शिक्षा में उन लोगों के जीवन और जीवनी भी शामिल होंगे जिन्होंने विज्ञान और दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

कोमल भावनाओं, प्रेम, दया और सहानुभूति को आत्मसात करने वाली कहानियां पढ़ाई जायेगी।

अवैज्ञानिक विचारों का मुकाबला करनाः

सभी पाठ जो कट्टरपंथी, अलोकतांत्रिक और अवैज्ञानिक विचारों का दावा करते हैं उन्हें पाठ्यक्रम से हटा दिया जायेगा। पीईपी संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है यह सुनिश्चित करती है कि प्राचीन भारत के योगदान को उचित रूप से मान्यता दी जाये चिकित्सा, गणित और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में वास्तविक योगदान पर जोर दिया जाये बिना किसी अनुचित महिमामंडन या विकृति के।

सत्य और नैतिकता पर जोरः

मूल्य आधारित शिक्षा छात्रों को सच्चाई सिखाएगी, उपभोक्तवाद को अस्वीकार करेगी और धन के अश्लील प्रदर्शन से बचेगी।

पीईपी उन सभी मूल्यों को हतोत्साहित करती है जो जातिवाद, सांप्रदायिकता, नस्लवाद और पितृसत्ता को सही ठहराते हैं।

भाग XIV

शिक्षा पर भाषा नीति

भारत, एक बहुभाषी और बहुजातीय देश होने के नाते, शिक्षा के लिये एक प्रभावी भाषा नीति तैयार करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करता है। शिक्षा में भाषा के प्रति दृष्टिकोण राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक सामंजस्य के लिये महत्वपूर्ण है और किसी भी नीति को विविध भाषाई समुदायों की जटिलताओं को ध्यान में रखना चाहिये।

मातृभाषा का महत्व

सर्वसम्मति यह है कि मातृभाषा को शिक्षण का माध्यम होना चाहिये। अपनी मातृभाषा में सीखने से छात्रों को अवधारणाओं को अधिक आसानी से समझने, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद मिलती है। हालांकि, जिन छात्रों की मातृभाषा स्थानीय भाषा से भिन्न है उन्हें शिक्षण की भाषा सीखने में मदद करने के लिये अतिरिक्त सहायता दी जानी चाहिये।

अंग्रेजी की भूमिका

भारतीय संदर्भ में, अंग्रेजी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर एक संपर्क भाषा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐतिहासिक रूप से, अंग्रेजी को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है और यह भारत के शैक्षिक और व्यावसायिक परिदृश्य का अभिन्न अंग बन गई है। यह वैश्विक ज्ञान तक पहुंच प्रदान करती है बौद्धिक आदान–प्रदान के लिये एक माध्यम के रूप में कार्य करती है, और अंतर्राष्ट्रीय संचार की सुविधा प्रदान करती है। इसलिये छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में

वैश्विक विकास से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिये शिक्षा के शुरुआती चरणों से अंग्रेजी पढ़ाई जाती रहेगी।

अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं का विकास

उच्च शिक्षा और वैश्विक जुड़ाव के लिये अंग्रेजी आवश्यक है लेकिन आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास भी महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी के साथ बातचीत से सभी भारतीय भाषाओं का विकास होगा। सरकार सभी भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिये पाठ्यपुस्तकों, शब्दकोशों और अनुवाद जैसे संसाधनों के निर्माण को प्राथमिकता देगी। शब्दावली, व्याकरण और लिपि जैसे आवश्यक भाषाई उपकरण प्रदान करके हाशिए के समुदायों की भाषाओं का समर्थन करने के लिये विशेष प्रयास किये जाने चाहिये।

भाषा सूत्र

छात्र को मातृभाषा और अंग्रेजी दोनों सीखनी चाहिये। इस दृष्टिकोण को व्यावहारिक और समावेशी दोनों माना जाता है। मातृभाषा और अंग्रेजी के अलावा, छात्रों के पास कोई भी अतिरिक्त भाषा सीखने का विकल्प होगा। हालांकि अतिरिक्त भाषा सीखना वैकल्पिक होगा।

भारत जैसे बहुभाषी देश में विशेष समस्या

भारत जैसे बहुभाषी देश के लिये एक विशेष समस्या है। भारत में प्रवास एक आम बात हो गई है और अक्सर एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाकर बस जाते है।

दूसरे राज्य में जन्मे और पले-बढ़े ऐसे प्रवासी परिवार के बच्चे के लिये, स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा खेलने वाले साथियों और पड़ोसियों के साथ बातचीत के माध्यम से लगभग मातृभाषा जैसी हो जाती है, हालांकि घर पर बोली जाने वाली मातृभाषा ही होती है।

बच्चे को आमे तौर पर ऐसे स्कूल में पढ़ना पड़ता है जहां स्थानीय/क्षेत्रीय/राज्य की भाषा शिक्षा का माध्यम हो। एकीकरण के हित में, हमें प्रवासियों को राज्य की भाषा सीखने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।

जिन राज्यों या राज्यों के भागों में ऐसे अलग–अलग भाषाई समुदाय बड़ी संख्या में रहते हैं या केंद्रित हैं, वहां संबंधित राज्य सरकारें ऐसे स्कूल स्थापित करने की जिम्मेदारी लेंगी जहां संबंधित मातृभाषा शिक्षा का माध्यम हो और मातृभाषा और अंग्रेजी पढ़ाई जाये।

जिन राज्यों में भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की संख्या काफी है वहां सरकारें अल्पसंख्यकों की भाषा में स्कूली शिक्षा को प्रोत्साहित कर सकती हैं। लेकिन जहां सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की संख्या बहुत कम है, वहां सरकार सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की पहल को अपनी मातृभाषा में स्कूल खोलने की अनुमति देती है और उसे स्वीकार करती है। लेकिन ऐसे स्कूलों को धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का पालन करना चाहिये और स्वीकृत पाठ्यक्रम को अपनी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिये।

मातृभाषा के अलावा, बच्चे को वैकल्पिक तीसरी भाषा के रूप में विदेशी भाषा भी पढ़ने का विकल्प होना चाहिये।

भाग XV

शारीरिक शिक्षा और खेल

शारीरिक शिक्षा और खेल एक समय शैक्षिक पाठ्यक्रम के आवश्यक घटक हैं। वे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं बल्कि शैक्षणिक प्रदर्शन को भी बढ़ाते हैं आवश्यक जीवन कौशल, टीम भावना, खेल भावना का निर्माण करते हैं और भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देते हैं। कम उम्र से ही शारीरिक शिक्षा को शामिल करने से शिक्षा के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण बनाने में मदद मिलती है, जहां छात्र विकास के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक पहलुओं को समान रूप से महत्व दिया जाता है।

प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शारीरिक शिक्षा शुरू की जायेगी।

स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक शिक्षा के सभी स्तरों पर खेल और खेल तथा विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये पर्याप्त और आवश्यक बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया जायेगा।

खेल और खेल के क्षेत्र में असाधारण प्रतिभा दिखाने वाले छात्रों पर विशेष ध्यान और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। ऐसे छात्रों के प्रशिक्षण, यात्रा और आवास का सारा खर्च राज्य को वहन करना होगा। अनिवार्य उपस्थिति जैसे सामान्य नियमों में ढील दी जानी चाहिये। यदि आवश्यक हो तो विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि वे पढ़ाई में दूसरों से पीछे न रहें।

भाग XVI

ऑनलाइन शिक्षा

एनईपी 2020 ने ऑनलाइन शिक्षण पद्धति पर बहुत अधिक जोर दिया है और छात्रों से ऑनलाइन पोर्टल पर दिए जाने वाले पेपर चुनने के लिये कहा है। ऑनलाइन कोर्स करने के लिये अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। उनमें से अधिकांश कॉलेज और विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक कैलेंडर में फिट नहीं होते हैं। कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षण के अनुभव से पता चलता है कि दूरदराज के क्षेत्रों में छात्रों के लिये ऑनलाइन शिक्षा सुलभ नहीं है और अधिकांश छात्रों को ऑनलाइन शिक्षण से ध्यान केंद्रित करना और सीखना मुश्किल लगता है। भारत जैसे विकासशील देश में, शिक्षण का प्रत्यक्ष साक्षात तरीका अधिक विश्वसनीय तरीका है क्योंकि यह शिक्षक के साथ सीधे संवाद को सक्षम बनाता है और कई विचारों के बेहतर आदान-प्रदान की सुविधा देता है। शिक्षण का साक्षात तरीका धीमी गति से सीखने वालों को अवसर प्रदान करता है और छात्रों और शिक्षकों के बीच आमने-सामने व्यक्तिगत बातचीत की सुविधा प्रदान करता है। कक्षाओं में बैठकर छात्र न केवल शिक्षकों से सीखते हैं बल्कि साथियों की बातचीत से भी सीखते हैं। ऑनलाइन/मिश्रित शिक्षा पद्धति में छात्रों को इन सभी आवश्यक गतिविधियों से वंचित रखा जाता है।

इन कारणों से ऑनलाइन शिक्षा कभी भी साक्षात शिक्षण पद्धति का विकल्प नहीं हो सकती है। हालांकि, ऑनलाइन शिक्षण औपचारिक शिक्षण का पूरक हो सकता है। प्रत्यक्ष साक्षात शिक्षण के पूरक के रूप में ऑनलाइन शिक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए जाने चाहिये।

सरकार देश के कोने–कोने में इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित करेगी, किफायती इंटरनेट कनैक्शन और डिवाइस उपलब्ध करायेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सभी छात्रों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को डिजिटल साक्षरता दी जाये।

पाठ्यक्रमों का ऑनलाइन अध्ययन छात्रों द्वारा वैकल्पिक रूप से उपयोग किया जा सकता है जहां पाठ्यक्रम बहुत ही अनोखे है और डिग्री कार्यक्रमों की मौजूदा पाठ्यचर्या आवश्यकताओं के अतिरिक्त सीखा जाना है। प्रख्यात शिक्षाविदों द्वारा चुनिदां ऑनलाइन पाठ्यक्रमों/रिकॉर्ड किये गये वीडियो पाठयक्रमों की पेशकश का उपयोग शिक्षकों और छात्रों द्वारा अतिरिक्त पाठयक्रमों के रूप में किया जा सकता है। हालांकि, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ऑनलाइन/मिश्रित मोड में डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश को हतोत्साहित किया जायेगा।

भाग VII

एक अपील

हम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा और विचार-विमर्श के लिये जन शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत कर रहे हैं। ऊपर से थोपी गयी NEP 2020 के विपरीत, AISEC का मानना है कि PEP 2025 के मसौदे को लोगों के विभिन्न वर्गों के पास ले जाकर और उनसे सुझाव लेकर मसौदे को और बेहतर बनाया जाना चाहिये। AISEC का प्रस्ताव है कि इस प्रकार प्राप्त सुझावों को शामिल करने के बाद एक अंतिम नीति दस्तावेज जन शिक्षा नीति NEP 2020 का विकल्प तैयार किया जायेगा। केन्द्र सरकार ने इसे संसद में नहीं रखा लेकिन AISEC इसे जनवरी 2026 में बेंगलुरु में इस उद्देश्य के लिये बुलाई जाने वाली राष्ट्रीय जन संसद के समक्ष रखेगी। एक बार अंतिम वैकल्पिक जन शिक्षा नीति तैयार हो जाने बादे, AISEC का प्रस्ताव है कि जन शिक्षा नीति को केन्द्र और राज्य सरकारों को प्रस्तुत किया जायेगा और निर्धारित समय सीमा के भीतर इसके कार्यान्वयन की मांग की जायेगी। पीपुल्स अल्टरनेटिव एजुकेशन पॉलिशी 2025, एनईपी 2020 का विकल्प की सफलता सभी हितधारकों-शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और नागरिक समाज के सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करती है। हमारी कार्रवाई का आह्वाहन होना चाहिये जहां हर कोई एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के निर्माण में योगदान देने के लिये आगे आए जो समावेशी, सुलभ और धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक और सर्वाभामिक सिद्धांतों पर आधारित हो। शिक्षा को लोगों के सशक्तिकरण और सामाजिक उन्नति के लिये एक शक्तिशाली उपकरण बनना चाहिये।

श्री प्रकाश एन.शाह — **अध्यक्ष**

डॉ. तरुण कांति नस्कर — **महासचिव**

अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति

आल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी

Annexure I

ड्राफ्ट पीपुल्स एजुकेशन पॉलिसी (PEP) 2025 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 से तुलना की सिफारिशें

	राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020	ड्राफ्ट पीपुल्स एजुकेशन (पालिसी) (PEP) 2025
(1)	''स्कूल परिसर समूहों की स्थापना और स्कूल परिसरों में संसाधनों के के बंटवारे'' के नाम पर। NEP स्कूलों के विलय की सिफारिश करती है, जिसका व्यावहारिक अर्थ है सरकारी स्कूलों को बंद करना NEP में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कोई ठोस अनुशंसा नहीं है, शिक्षकों को गैर-शिक्षण कार्य सौंपने के मामले में वह चुप है।	(1) PEP सरकारी स्कूलों को बंद करने का पुरजोर विरोध करती है PEP स्पष्ट रूप से अनुशंसा करती है: (1) पर्याप्त संख्या में शिक्षकोकं की नियुक्ति। (2) सभी सरकारी स्कूलों को पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। (3) शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्य न सौंपना (4) नो डिटेंशन नीति को समाप्त करना, वर्ष के अंत में परीक्षा को फिर से शुरू करना और सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना।
(2)	**NEP** दस्तावेज में धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का कोई उल्लेख नहीं है छम्द का उद्देश्य शिक्षा का व्यापारीकरण साम्प्रदायिक, अलोकतांत्रिक, रूढ़िवादी और विज्ञान-विरोधी शिक्षा प्रदान करता है।	(2) **PEP** धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक और सार्वभौमिक शिक्षा की पुरजोर वकालत करती है यह सभी स्तरों पर शिक्षा के मुनाफाखोरी और व्यापारीकरण विरोध करती है।
(3)	NEP विफल 3 भाषा फार्मूला लागू करता है। इसका अंतिम उद्देश्य हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में थोपना है। इस दोषपूर्ण नीति ने अंग्रेजी और कई स्थानीय भाषाओं को सीखने के महत्व को कम कर दिया है: इसने भाषा और क्षेत्रीय विभाजन को मजबूत किया है। भारत के विशाल जनसमूह के वैश्विक ज्ञान प्राप्त करने और लाभकारी रोजगार पाने से वंचित करेगी।	(3) PEP वैज्ञानिक रूप से सिद्ध दो भाषा फार्मूले, अर्थात ''मातृभाषा और अंग्रेजी'' को लागू करने की सिफारिश करती है। इस दो भाषा फार्मूले को लागू करते समय, PEP यह भी सिफारिश करती है कि प्रवासी आबादी, भाषाई और सांस्कृतिक अलपसंख्यकों के अधिकारों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया जायेगा। यह बच्चों को अतिरिक्त भाषा सीखने का विकल्प भी देती है। यह भाषा नीति को वैज्ञानिक रूप से विकसित करने तथा सभी भाषाओं, विशेषकर हाशिए पर पड़े समुदायों की भाषाओं के विकास के लिये पर्याप्त सरकारी समर्थन की सिफारिश करती है।

(4)	सरकारी वित्त पोषण में PEP अनुशंसा करती हैः (1) शिक्षा के लिये सकल घरेलू उत्पाद का 6% आवंटन (2) स्व-वित्तपोषण और पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) मॉडल पर चलाने का पाठ्यक्रमों और संस्थानों को प्रयास करना। PEP अवलोकन यह सरकार का पुराना नारा है। इसे लागू करने में सरकार की गंभीरता सवालों के घेरे में है। क्योकि यह NEP न तो शिक्षा पर जीडीपी का 6ः खर्च सुनिश्चित करने में सरकार की विफलता की और न ही शिक्षा के लिये घटते बजटीय आवंटन की शिक्षा के लिये घटते बजटीय आवंटन की आलोचना करती है। न ही यह सवाल उठाती है कि आवंटन अब तक के सबसे निचले स्तर पर क्यों पहुंच गया है।	(4) PEP अनुशंसा करती हैः (1) शिक्षा के लिये केन्द्रीय बजट का कम से कम 10ः और सकल घरेलू उत्पाद का 6ः तथा राज्य बजट का न्यूनतम 20-25% आवंटन। (2) सरकार पूव-प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा और अनुसंधान तक की शिक्षा तक पूरी जिम्मेदारी लेगी। (3) कॉलेज ओर विश्वविद्यालय शिक्षा की फीस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सबसे गरीब वर्ग सहित सबसे गरीब वर्ग के लोगों के लिये भी वहनीय होनी चाहिये। (4) सभी विद्यार्थियों, विशेषकर वंचित समुदायों गरीबों और छात्रों के लिये छात्रवृत्ति का प्रावधान। (5) स्व-वित्तपोषित एवं पीपीपी मॉडल पाठ्यक्रम/संस्थानों को बंद करना।
(5)	शिक्षा का व्यापारीकरण शिक्षा के पर NEP के विचारः (1) यह निजी व्यावसायिक कॉलेजों/ संस्थानों द्वारा की जाने वाली मुनाफाखोरी और अत्यधिक फीस पर चुप है। (2) यह घोषणा करके संतुष्ट दिखाई देती है कि निजी उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा ली जाने वाली सभी फीस पारदर्शी होंगी और उसका पूर्ण खुलासा किया जायेगा... (3) निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में फीस तय करने पर कोई सख्ती न करके NEP व्यावहारिक रूप से मुनाफाखोरी के लिये है और इसलिये कॉपोरेट समर्थक है।	(5) PEP सिफारिशेंः (1) केंद्र और राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कानून बनाएंगी कि सभी व्यावसायिक कॉलेजों में प्रवेश बिना किसी प्रबंधन कोटा और एनआरआई कोटा के योग्यता के अनुसार ही हो। फीस संरचना आम लोगों की पहुंच के भीतर होनी चाहिये। (हालांकि, संविधान द्वारा गारंटीकृत कोटा मौजूद रहेगा।) (2) प्रति व्यक्ति डोनेशन वसूली जैसी प्रथाओं को सभी स्तरों पर समाप्त कर दिया जायेगा। (3) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये एक तंत्र विकसित करेगी कि सभी स्तरों पर निजी शिक्षा संस्थान अत्यधि फीस न लें और इस संबंध में सरकारी संस्थानों के साथ समानता रहे। इन निजी संचालित संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों के लिये 30ः निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान होगा।
(6)	NEP शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण स्टाफ की नियमित भर्ती पर चुप्पी साधे हुए है। इसकी सिफारिशें ''अतिथि शिक्षकों'' के शोषण को और मजबूत करती हैं।	(6) PEP सभी स्तरों पर रिक्त पदों को नियमित रूप से स्थायी शिक्षकों सें भरने के के पक्ष में है इसमें योग्य एवं अनुभवी ''अतिथि'' संविदा शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने का भी प्रस्ताव है।

(7)	स्वायत्तता और लोकतंत्र अधिकार पर उच्च शिक्षा को नियमित करने के बहाने, NEP निम्नलिखित की सिफारिश करती है (1) यूजीसी, एआईसीटीई, पीसीआई आदि जैसी अपेक्षाकृत स्वायत्त संस्थाओं को समाप्त करना तथा उनके स्थान पर एचईसीटी (भारतीय उच्च शिक्षा आयोग) जैसी अत्यधिक केंद्रीकृत एवं नौकरशाही संस्था का गठन करना। PEP का अवलोकन इस सिफारिश का उद्देश्य स्वायत्तता के के अंतिम अवशेष को भी छीन लेना है जो इन संस्थाओं या निकायों को कभी प्राप्त था। (2) NEP सभी एचईटी (उच्च शिक्षा) में पूर्ण केंद्रीकरण की सिफारिश करती है इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित संस्थाओं का सर्वांगीण केंद्रीकरण किया जायेगा। (ए) प्रवेश (बी) प्रशासन (सी) पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या तैयार करना, (डी) शिक्षण पद्धति और (ई) मूल्यांकन की विधि	(7) संबंधित उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालय निकायों के शिक्षकों, छात्रों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को उनके सभी प्रशासनिक और शैक्षणिक निकायों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायेगा, एक ऐसा मुद्दा जिस पर NEP चुप है। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालय निकायों का लोकतंत्रीकरण किया जाना चाहिये और बिना किसी सरकारी या राजनीतिक नियंत्रण के उनका स्वायत्त कामकाज सुनिश्चित किया जाना चाहिये और बिना किसी सरकारी या राजनीतिक नियंत्रण के उनका स्वायत्त कामकाज सुनिश्चित किया जाना चाहिये। प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति संबंधित स्तरों पर लोकतांत्रिक रूप से गठित शैक्षणिक और स्वशासी निकायों के पास होगी।
(8)	एक समान पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या पर NEP पर प्रस्ताव हैः (1) पूरे देश के लिये एक समान पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण पद्धति और परीक्षा प्रणाली लागू करना। PEP का अवलोकनः हमारे जैसे विशाल देश में, जहां सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक शैक्षिक असमानताएं बहुत अधिक हैं, ''एक राष्ट्र, एक पद्धति'' को लागू करना विनाशकारी होगा। यह सत्ता में बैठी पार्टी को शिक्षा पर अपनी विचारधारा और सोच थोपने की खुली छूट देगा। यह स्वतंत्र सोच के लिये हानिकार होगा। यह हमारे देश में स्वतंत्र सोच, शिक्षण सीखने-सिखाने शिक्षण-अधिगम, ज्ञान और अनुसंधान के जिसे बाधक होगा।	(8) पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या के संबंध में PEP का प्रस्ताव हैः सभी डिग्री कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम और सिलेबस को अकादमिक निकायों में पर्याप्त विचार-विमर्श के माध्यम से विकसित किया जायेगा। बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के और पहल तर्कसंगत, वैज्ञानिक और पेशेवर होना चाहिये। पाठ्यक्रम ऐसे होने चाहिये जो ज्ञान में निरंतर प्रगति के अनुरूप तैया किया जाएं और उन्हें समय पर नवीनतम किये गए हों।

(9)	केन्द्रीकृत प्रवेश के संबंध में छम्द का प्रस्तावः (1) सीयूईटी, एनईईटी, जेईई आदि केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षाओं की शुरूआत। CUET या NEET JEE जैसी प्रवेश की सभी केंद्रीकृत प्रक्रियाएं कोचिंग संस्थानों पर अत्यधिक निर्भरता को प्रोत्साहित करती हैं और वे गरीब–विरोधी और समता–विरोधी हैं।	(9) प्रवेश के संबंध में PEP का प्रस्ताव हैः (1) केन्द्रीकृत प्रवेश का उन्मूलन। (2) संबंधित विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा पारदर्शी और योग्यता आधारित प्रवेश प्रक्रिया की शुरूआत की जायेगी।
(10)	NEP दूरदराज के इलाकों में शैक्षणिक संस्थान खोलने के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। इसके बजाय, यह सरकारी स्कूलों को बंद करने और व्यापारिक शिक्षा को मजबूत करने की सिफारिश करता है।	(10) PEP ने सिफारिश की है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि पहाड़ी क्षेत्रों, वन क्षेत्रों, रेगिस्तानों, सीमावर्ती क्षेत्रों और अन्य कम आबादी वाले क्षेत्रों जैसे दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में भी शैक्षणिक संस्थान हों।
(11)	भारतीय ज्ञान प्रणाली NEP अनुशंसा करती हैः (1) आईकेएस (भारतीय ज्ञान प्रणाली का परिचय प्राचीन भारत के गौरवशाली अतीत के प्रचार–प्रसार के नाम पर, NEP आईकेएस को शुरू करने पर जोर देती है। इसमें कहा गया हैः ''...भारतीय ज्ञान प्रणाली, जिसमें आदिवासी ज्ञान और सीखने के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके शामिल हैं, को गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, योग, वास्तुकला, चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग, भाषा विज्ञान में शामिल किया जायेगा। इसमें आगे कहा गया है, ''...बच्चों को पंचतंत्र, जातक, हितोपदेश और भारतीय पंरपरा की अन्य मजेदार दंतकथाओं और प्रेरक कहानियों की मूल कहानियों को पढ़ने और उनमें सीखने का अवसर मिलेगा।'' और वैश्विक साहित्य पर उनके प्रभावों के बारे में जानें...''(चूंकि यह NEP) से उद्धृत है, इसलिये दस्तावेज में सटीक बात को सत्यापित किया जाना है) PEP का अवलोकन बच्चों को केवल भारतीय साहित्य के वैश्विक साहित्य पर प्रभाव के बारे में पढ़ाना एततरफा	(11) मूल्य शिक्षा पर PEP अनुशंसा करती हैः (1) मूल्य शिक्षा प्रदान करना लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष विचारों पर आधारित होगी यह किसी भी धार्मिक संरक्षण से मुक्त होगी। (2) तर्क, सहिष्णुता, सहानुभूति, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने वाले मूल्यों की शिक्षा दी जायेगी। (3) भारत और विश्व भर के महान व्यक्तियों की जीवनी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखने वाले महान पुरुषों और महिलाओं के जीवन और संघर्ष, जिन्होंने जाति, पंथ और धर्म के बावजूद सभी के लिये शिक्षा सुलभ बनाने के लिये संघर्ष किया, को पाठ्यक्रमि में शामिल किया जायेगा। (4) संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, यह सुनिश्चित करना है कि भारत के प्राचीन योगदान को उचित रूप से मान्यता मिले, इसके लिये चिकित्सा, गणित और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अनुचित महिमामंडन या विकृतियों के बिना वास्तविक योगदान पर जोर दिया जाय। (5) इतिहास की पाठ्य पुस्तकें अकादमिक पुस्तकें होंगी, वे किसी भी पार्टी की पुस्तकें होंगी, वे किसी भी पार्टी की पुस्तकें नहीं बननी चाहिये। वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सत्य ही पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या का आधार बनेंगे। (6) सभी अवैज्ञानिक, छद्म–विज्ञान और रुढ़िवादी

	और अंधा है। प्राचीन भारत पर वैश्विक साहित्य के प्रभाव के बारे जानें...(चूंकि यह NEP के उद्धृतत है, इसलिये दस्तावेज में सटीक बात को सत्यापित किया जाना है) PEP का अवलोकन बच्चों को केवल भारतीय साहित्य के वैश्विक साहित्य पर प्रभाव के बारे में पढ़ाना एकतरफा और अंधा है। प्राचीन भारत पर वैश्विक साहित्य के प्रभाव के बारे में न पढ़ाना जानबूझकर अंधभक्ति को बढ़ावा देने के लिये बनाया गया है। इस दृष्टिकोण में सांप्रदायिक घृणा के बीज बोने और धार्मिक अंधभक्ति को हवा देने की पूरी शरारती चाल है। विश्व की अन्य सभ्यताओं के योगदान को कम आंकना, प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का अनुचित महिमामंडन और मिथ्याकरण तथा पौराणिक कथाओं को प्रामाणिक इतिहास के रूप में चित्रित करना फासीवादी मानसिकता को जन्म देगा।	विचारों तथा मूल्यों को हतोत्साहित किया जायेगा जो जातिवाद, सांप्रदायिकता, नस्लवाद और पितृसत्ता को उचित ठहराते हैं।
(12)	आरटीई पर NEP आरटीई अधिनियम 2009 के पक्ष में है। इसमें कहा गया है कि प्री-प्राइमरी शिक्षा सरकार की एकमात्र जिम्मेदारी नहीं है। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है, लेकिन इस सरकार की मुख्य जिम्मेदारी नहीं माना गया है। NEP अनिवार्य पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के साथ एकतरफा 5+3+3+4 प्रणाली की सिफारिश करती है। NEP के अनुसार पूर्व-प्राथमिक शिक्षा है: 12.1 औपचारिक एवं अनिवार्य। 12.2 इसे प्रदान करना माता/पिता अभिभावकों की जिम्मेदारी है, सरकार की नहीं।	(12) PEP अनुशंसा करती है: (1) सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को रद्द करेगी और 3 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करेगी। NEP का मानना है कि 5+3+3+4 पैटर्न एकतरफा है। यह समय परिक्षित 10+2 संरचना को जारी रखने के पक्ष में है। PEP अनुशंसा करता है: (1) दो वर्षीय पूर्व-प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं होगी। (2) पूर्व प्राथमिक स्तर से कक्षा 12 तक शिक्षा निःशुल्क होगी। इस स्तर पर किसी भी बहाने से विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
(13)	एफवाईयूपी पर NEP अनुशंसा करता है: 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (एफवाईयूपी)	PEP अनुशंसा करता है: (1) समय-परिक्षित 3-वर्षीय कार्यक्रम को जारी रखना। यू.जी. प्रस्तावित पाठ्यक्रम अंतः विषयक होंगे और व्यापक एवं समग्र ज्ञान

	PEP अवलोकनः (1) यह विवादास्पद नीति लाखों लिये बोझिल है। यह उन छात्रों के लिये बोझिल है। यह उन छात्रों के एक छोटे से वर्ग को मदद करती है जो पढ़ाई के लिये विदेश जाते हैं (2) एकाधिक प्रवेश और निकास विकल्प, PEP का अवलोकन, बहु-विषयक, पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के नाम पर, यह कैफेटेरिया दृष्टिकोण के साथ पाठ्यक्रम संयोजन की सिफारिश करती है।	प्रदान करेंगे। PEP का मानना है कि चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (एफवाईयूपी), जिसमें कई प्रवेश और निकास विकल्प तथा ''कैफेटेरिया प्रणाली' शामिली है, अवैज्ञानिक है और विनाशकारी होगी। एकाधिक प्रवेश और निकास विकल्प अत्यधिक भेदभावपूर्ण है, यह केवल ड्रॉप आउट को को प्रोत्साहित करेगा। तथा कथित 'बहु-विषयक पाठ्यक्रम' अंतर-विषयक दृष्टिकोण और व्यापक ज्ञान प्राप्ति' के स्पष्ट विरोधी हैं।
(14)	NEP एक वर्ष के पीजी कार्यक्रम को छोटा करने के पक्ष में है।	(14) PEP समय-परीक्षित 2-वर्षीय पीजी कार्यक्रम के पक्ष में है।
(15)	परीक्षा प्रणाली NEP माध्यमिक स्तर की शिक्षा में भी सेमेस्टर प्रणाली की सिफारिश करती है। PEP का अवलोकन सेमेस्टर प्रणाली की शुरुआत के बारे में समग्र अनुभव भारतीय शिक्षा प्रणाली और इसके बुनियादी ढांचा 'सेमेस्टर प्रणाली' को बनाए नहीं रख सकता, बहुत कम समय में बहुत सारी परीक्षाएं छात्रों और शिक्षकों और सीखने में आनंद को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया है। सामाजिक-सांस्कृतिक और पाठ्येतर गतिविधियां सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं।	
(16)	NEP ने एम.फिल. कार्यक्रम को समाप्त करने की सिफारिश की है। यह हमारे देश में शोध के लिये हानिकारक होगा।	(16) PEP एक विकल्प के रूप में एम.फिल. कार्यक्रम को बहान करने के पक्ष में है।
(17)	शिक्षकों की भूमिका NEP ने शिक्षक की स्थिति को घटाकर महज सुविधादाता बना दिया है। अब वह मार्गदर्शक या संरक्षक की भूमिका नहीं निभाएगा। यह शिक्षक शिक्षा के महत्व और शिक्षकों के बीच वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण विकसित करने की अनदेखी करता है।	(17) शिक्षक शिक्षा और PEP के विचारः PEP शिक्षक को लगभग एक अभिभावक, एक मार्गदर्शक और एक संरक्षक के रूप में देखता है। अपने विषय ज्ञान को अद्यतन करने के अलावा शिक्षक शिक्षा यह सुनिश्चित करेगी कि वह सामान्य रूप से छात्रों और हाशिए के वर्गों और विशेष रूप से लड़कियों से प्यार, स्नेह और सहानुभूति रखे। वैज्ञानिक एवं धर्मनिरपेक्ष शिक्षा केवल तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब हमारे शिक्षक अपने विश्वासों में धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक और तर्कसंगत हों। इसे प्राप्त करने के लियेः शिक्षक ,

		शिक्षा को शिक्षकों को अंधविश्वासों और सामाजिक पूर्वाग्रहों को दूर करने और वैज्ञानिक सोच विकचित करने में सक्षम बनाना चाहिए। छात्रों में धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक मानसिकता तथा आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिये शिक्षकों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जायेगा।
(18)	ऑनलाइन शिक्षा NEP शिक्षण के ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड पर जोर देती है। NEP का अवलोकनः हमारे जैसे देश में जहां सामाजिक–आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा है, ऑनलाइन–आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा है ऑनलाइन शिक्षा लागू करना भेदभावपूर्ण और गैर–समानतवादी होगा। गरीबी के कारण, आधुनिक गैजेट्स तक पहुंच न होना हमारे देश में एक आम बात है।	(18) ऑनलाइन शिक्षा पर PEP के विचारः, (1) छात्रों के समग्र विकास के लिये समय–परीक्षणित, औपचारिक कक्षा शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया आवश्यक है। इसलिये, इसे कभी भी ऑनलाइन शिक्षण द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिये। (2) ऑनलाइन शिक्षण औपचारिक शिक्षण का पूरक और सहायक हो सकता है लेकिन इसे कभी भी प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। इसलिये, सभी छात्रों तक इसकी समान पहुंच सुनिश्चित करने के लियेः सरकार सभी तक इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित करेगी देश के हर कोने में रहने वाले सभी छात्रों को सस्ते इंटरनेट कनेक्शन और डिवाइस उपलब्ध कराए जायेंगे। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में छात्रों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया जायेगा। (3) शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ऑनलाइन या मिश्रित मोड में डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश को हतोत्साहित किया जायेगा।
(19)	MEP वित्त पोषण एजेंसी या सरकार द्वारा अनुसंधान के क्षेत्र को निर्धारित करने को मंजूरी देती है।	PEP यह देखाना चाहती है कि अनुसंधान का क्षेत्र वित्त पोषण एजेंसी या सरकार द्वारा निर्धारित नहीं होना चाहिये।

एक सारांश

1. सार्वभौमिक, वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित जन शिक्षा नीति 2025 को लागू करें।
2. हम सभी के लिये शिक्षा का साभामिकीकरण चाहते हैं न कि केवल साक्षरता और संख्यात्मकता।
3. हम मांग करते हैं कि DPEP, SSA, RUSA जैसी विश्व बैंक की अन्य योजनाओं को खत्म किया जाय क्योंकि ये लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली को नष्ट करती हैं।
4. साल से 17 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिये निशुल्क उत्तम शिक्षा सुनिश्चित की जाये और RTE Act 2009 को खत्म किया जाये।
5. शिक्षा का पूरा खर्चा राज्य सरकारें उठाएं। केन्द्र तथा संबंधित राज्य सरकारों के योजनागत व्यय से इसे वहन करें।
6. शिक्षा राज्य सूची का विषय ही रहेगी। इसके लिये भारतीय संविधान में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाये।
7. ECCE के बजाय, पूरे देश में प्री प्राईमरी शिक्षा को बढ़ावा देकर उसका विकास किया जाये।
8. समय परीक्षित 10+2+3 संरचना को पुनः लागू करें तथा NEP2020 द्वारा प्रस्तुत एक तरफा 5+3+3+4 पैटर्न को अस्वीकार करें।
9. कक्षा शिक्षण अधिगम (सीखने सिखाने) की प्रक्रिया सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे पढ़ना लिखना और बुनियादी अंकगणितीय कौशल हासिल करें।
10. सभी स्तरों पर स्थाई शिक्षकों की नियुक्ति की जाये और औपचारिक शिक्षण पद्धति का महत्व पुन स्थापित किया जाये।

11. नो डिटेंशन पॉलिसी को बंद किया जाये तथा खराब प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिये विशेष सहायता के साथ पास फेल प्रणाली लागू की जाये।
12. अकादमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण रोकें। व्यावसायिक शिक्षा को अलग से वैज्ञानिक ढंग से संचालित करें।
13. विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों की शैक्षणिक स्वतंत्रता और स्वयत्तता की रक्षा के लिये तत्काल कदम उठाएं
14. UG. PG. शिक्षा विशिष्ट विषयों पर आधारित होनी चाहिये न कि अवैज्ञानिक बहुविषयक दृष्टिकोण पर।
15. विश्वविद्यालय की समरू परीक्षित संबद्धता प्रणाली को अपने महाविद्यालयों/परिसरों में बनाए रखा जाये। एकात्मक विश्वविद्यालय आधुनिक विश्वविद्यालयों की ऐतिहासिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते।
16. सेमेस्टर प्रणाली केवल वहीं जारी रहेगी जहां यह बिल्कुल आवश्यक है लेकिन जहां भी संभव हो सभी यूजी पीजी पाठ्यक्रमों के लिये सेमेस्टर पैटर्न को वार्षिक पैटर्न में वापस लाना होगा।
17. शिक्षा के केन्द्रीयकरण को रोका जाये तथा प्रवेश NEET, CUET जैसी केंद्रीकृत परीक्षाओं के माध्यम से न किए जायं।
18. केंद्रीय बजट का कम से कम 10% और सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा के लिये आवंटित किया जाये। राज्य बजट का कम से कम 20 से 25% शिक्षा के लिये आवंटितत हो। अनुसंधान क्षेत्र के लिये पर्याप्त धन आवंटित हो और NRF जैसी एजेंसियों को भंग किया जाये जो अनुसंधान क्षेत्र को केंद्रीकृत करती हैं।

19. इतिहास को विकृत करना बंद करें। भारतीय ज्ञान प्रणाली (आई के एस) के नाम पर पाठ्यक्रम में हेरा फेरी नहीं होना चाहिए।
20. पीपीपी मॉडल, एकेडमिक औद्योगिक सहयोग और स्व वित्त पोषण मोड को रोके तथा सभी स्तरों परा शिक्षा के निजीकरण और व्यापारीकरण पर रोक लगाएं।
21. मातृभाषाओं और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दें तथा वैज्ञानिक रूप से भाषा नीति विकसित करें।
22. शिक्षा के जीवंत, भौतिक मोड को आनलाइन व मिश्रित मोड से न बदलें। आनलाइन मोड केवल एक पूरक तंत्र के रूप में उपयोग किया जाना चाहिये।

जन शिक्षा नीति की मुख्य मांगें

* Rajet NEP 2020. Introduce People's Education Policy based on Universal, Scientific, Democratic, Secular Education principles.
* We want Universalization of school education for all, not mere Literacy ad Numeracy.
* Do away with DPEP, SSA, RMSA, RUSA and other World Bank schemes which destroys Democratic education system.
* Reject RTE ACT 2009 and Ensure Free Education for all from 3-17 years.
* Education shall be completely financed by the state through the plan outlays of both the Union and the respective state Governments.
* Education shall be a subject of the State List and the Indian Constitution shall be re-amended accordingly.
* Instead of ECCE, Promote and develop re-primary education all over the country.
* Re-instate time tested 10+2+3 structure and reject lopsided 5+3+3+4 pattern introduced by NEP 2020.
* Ensure formal class room teaching learning process and make sure that Reading, writing and basic arithmetical skills are acquired by all children.
* Appoint permanent teachers at all levels and re-instate importance of the formal Teaching.
* Stop no deterntion policy and introduce pass fail system with special support for underperforming students.

* Stop Vocationalization of the academic Education streams. Deal with Vocational Education streams separately and scientifically.
* Take immediate steps to safeguard the sacademic freedom and Authonomy of the Universities and other Higher Education Institutions.
* UG, PG Education must be based upon discipline specific and not based on unscientific multi-disciplinary approach.
* Retain time tested affiliating systems of Universities to its colleges/campuses. Unitary Universities cannot fulfill historic necessities of the modern Universities.
* Semester system would continue only where it is absolutely necessary, but wherever possible, the semester pattern has to be reverted to Annual pattern for all UG PG Courses.
* Stop centralization and admission shall not be through conducting centralized tests like NEET or CUET.
* Allot at least 10 percent of the Central budget and 6% of the GDP for Education. Allot at least 20-25% of state budged to education. Allocate adequate funding for the Research Sector and dissolve NRF which centralizes Research field as such.
* STOP distortion of history. There should be no manipulation of syllabus in the name of the Indian knowledge systems (IKS)
* Stop PPP model, academic-industrial collaboration and self-financing mode and prevent privatization and commercialization of Education at all levels.
* Promote mother tongues and English language and develop language policy scientifically.
* Don't replace vital physical mode of Education with non-formal online or blended mode of Education. Online mode should be deployed only as a complimentary mechanism.

References

1. Dr Radhakrishna Commission (University Education Commission), 1948-1949.
2. Dr Mudaliar Commission (Secondary Education Commission), 1952-1854.
3. Dr. Kothari Commission (National Education Commission), 1964-1966.
4. National Policy on Education, 1969, Government of India.
5. National Policy on Education, 1986, Government of India.
6. Ambani Birla Report 2000.
7. National Knowledge Commission 2005.
8. National Curriculum Framework for School education 2005.
9. Yaspal Committee Report 2009.
10. The Right of children to Free and compulsory Education Act 2009.
11. National Education Policy 2020, Government of India.
12. District Primary Education Programme (DPEP), Sarva Siksha Abhiyan (SSA), Rashtriya Madhyamik Siksha Abhiyan (RMSA), Samagra Siksha Abhiyan, Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) schemes of Government of India.
13. National Curriculum Framework for Foundational Stage (NCFFS), Government of India.
14. National Curriculum Framework for School education (NCFSE), Government of India.
15. National Higher Education Qualifications Framework

(NHQEF), Government of India

16. National Credit Framework, Government of India.
17. National Skills Qualifications Framework, Government of India.
18. Anusandhan National Research Foundation Scheme, Government of India.
19. Academic Bank of Credits Scheme, Government of India.
20. Draft UGC Regulations 2025, Government of India.
21. UDISE Report 2023-2024 showing a decline in students enrollment in Schools.
22. Analysis of Budgeted Expenditure on Educdation, Ministry of Education, Government of India for various years.
23. The Golden Book of Vidyasagar, Published by All Bengal Vidyasagar Death Centenary Committee, Kolkata, 1993.
24. "Vidyasagar on Education", Prof Anis Kumar Ray.
25. Report of High Level Committee to Study the Impact of NEET on Medical Admissions in Tamil Nadu.
26. Implementation of Right of Children to Free and Compulsory Education: Where do we stand?-Centre for Social Development report 2023-24 ont he status of Implementation of RTE act 2009.
27. NEP 2020-Challenges Before Edudcation by AISEC.
28. Evolving a Distinct Education Policy for the peopl's of Tamil Nadu - Pertspectives for People's Education by Prof L Jawahar Nesan.